

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1004 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Prahlad Roy Goenka & Anr.

...APPLICANTS

VERSUS

Union of India & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	BRIEF REPLY BY AND ON BEHALF OF RESPONDENT NO.10/ SARDA ENERGY & MINERALS LTD.	1-8
2.	ANNEXURE R/1 A copy of the coloured photograph depicting the trench-type construction, due to which there is no obstruction in the continuous flow of water in the river	9-10
3.	ANNEXURE R/2 A copy of the order dated 09.08.2017 passed in the matter Pushp Saini vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. being O.A. No. 498 of 2015	11-13
4.	ANNEXURE R/3 A copy of the order dated 03.08.2018 issued by the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVN Ltd.), Government of Uttarakhand to all the Power Projects	14-18
5.	ANNEXURE R/4 A copy of the chart of lean period being maintained in the Office of the answering Respondent depicting the flow in the lean season and same is being sent to the Government Authorities every month	19-70

6.	ANNEXURE R/5 A copy of the relevant part of the Fisheries Rules, 2013	71-99
7.	PROOF OF SERVICE	-100-

FILED BY:



SAURABH RAJPAL AND AKSHAT AGARWAL
COUNSEL FOR RESPONDENT NO.10
D-206, 2ND FLOOR, LAJPAT NAGAR-1
NEW DELHI – 110024
MOB: - 9971792885
E-Mail:- advocatesaurabhrajpal@gmail.com

NEW DELHI
DATED: 13.10.2025

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1004 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Prahlad Roy Goenka & Anr.

...APPLICANTS

VERSUS

Union of India & Ors.

...RESPONDENTS

**BRIEF REPLY BY AND ON BEHALF OF RESPONDENT NO.10/ SARDA
ENERGY & MINERALS LTD.**

IT IS MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That the present Application has been filed by the Applicants raising concerns on the declining rate of Golden Mahseer fish in the aquatic ecosystem in India, especially in the Himalayan region, and inter alia attributing the construction of dams/barrages as one of the reasons for the same on the grounds that this hampers the migration of these fishes for their breeding.
2. That the present Response is being filed in compliance of the Order dated 19.11.2024, whereby this Hon'ble Court was pleased to issue notice in the present matter.
3. That Respondent No. 10, is a 4.8 MW Hydro Powerplant located on the Sarju River in the Kapkot Block of the Bageshwar District in the state of Uttarakhand, India.

4. It is submitted that the said project is notified in the name of Loharkhet Small Hydro Electric Project, which is running and listed in the name of M/s Parvatiya Power Limited, whose parent company is Sarda Energy & Minerals Ltd.
5. It is submitted that the origin of the Sarju River is from Sarmool Saudhara, and it is a perennial, rain-fed, spring-fed, and snow-fed river. On its way to the barrier, the river receives water from eight different streams. The project utilizes the available flow in the Sarju River at the diversion site. The geographical coordinates of the said project are latitude 30 ° 02' 00" N and longitude 79 ° 57' 30" E. The catchment is hilly with altitudes up to 4200 m above mean sea level.

NO CONSTRUCTION OF DAM OR BARRAGE

6. That the Parvatiya Power Limited Project is located at a distance of about 8 km from the origin of the Sarju River, and it is a run-of-the-river type project. That in the above project, no dam or barrage has been constructed, instead a trench type weir has been constructed at the diversion site, through which only the amount of water flow required for power generation of the project is used from the total water flow available in the river, the remaining water keeps flowing uninterrupted in the river, due to which there is no obstruction in the continuous flow of water in the river.

A copy of the coloured photograph depicting the trench-type construction, due to which there is no obstruction in the continuous flow of water in the river, is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/ 1**.

7. That, since no dam or barrage has been constructed in the project and there is no obstruction in the flow of the river, the Respondent No.10 has not violated any norms.

**COMPLIANCE WITH RELEVANT RULES TO MAINTAIN
MINIMUM FLOW OF THE RIVER**

8. At this juncture, it is worthwhile to mention the order dated 09.08.2017 passed in the matter *Pushp Saini vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.* being O.A. No. 498 of 2015, wherein this Hon'ble Tribunal passed the following directions:

“The Tribunal in the recent Judgment pronounced on the river Ganga had directed 20% minimum environment flow to be maintained from Haridwar onwards on the basis of the average lean season flow. In light of the above and the clear stand being taken by the Ministry, we direct that all the rivers in the Country shall maintain minimum 15% to 20% of the average lean season flow of that river. However, whichever State is unable to adhere to this average percentage, in that event we grant liberty to that State Government to move the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change who shall in consultation with the Ministry of

Water Resource examine such a representation and if it is desirable to fix any lower percentage than the percentage afore stated, then it will pass appropriate order. The order should be reasoned, and thereafter it would be left to the discretion of the State concerned to follow the directions of the Ministry in accordance with law”.

A copy of the order dated 09.08.2017 passed in the matter Pushp Saini vs Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. being O.A. No. 498 of 2015 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/2**.

9. That in compliance of the above directions, the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVN Ltd.), Government of Uttarakhand issued an order dated 03.08.2018 to all the Power Plants including the answering Respondent for compliance of the order dated 09.07.2018 and also directed to submit monthly report regarding the daily water discharge from the barrier so as to maintain the minimum flow requirement as per the aforesaid order dated 09.07.2018 passed by this Hon’ble Tribunal.

A copy of the order dated 03.08.2018 issued by the Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Ltd (UJVN Ltd.), Government of Uttarakhand to all the Power Projects is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/3**.

10. It is pertinent to mention it here that pursuant to the order dated 09.07.2018 passed by this Hon’ble Tribunal and further in compliance of the office order dated 03.08.2018 issued by UJVN Limited, the answering

Respondent started submitting the details, which clearly show that 15% minimum flow is being maintained in the lean season.

A copy of the chart of lean period being maintained in the Office of the answering Respondent depicting the flow in the lean season and same is being sent to the Government Authorities every month is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/4**.

11. It is submitted that during the monsoon season, there is no obstruction of any kind in the continuous flow of water in the Saryu River at the diversion site of the project, rather, during the said monsoon season, many times more water than the requirement of the project keeps flowing in the river.

NO ADVERSE EFFECT ON THE GOLDEN MAHSEER FISH

12. The Parvatiya Power Limited project area falls in the region of the middle Himalayas, basin, and the basin is located between North latitudes $30^{\circ} 3'$ to $30^{\circ} 9'$ and east longitudes $79^{\circ} 57'$ to $80^{\circ} 2'$. The entire catchment area is sparsely populated because of steeply sloping mountain ranges, remote location, inaccessibility, and lack of economically exploitable resources. There will be no adverse impact on the forest, wildlife, or fish life by this project. The project would not adversely affect the biotic and abiotic components of the forest system, the river, and the area in general. No ecological disturbances, backlashes, or boom ranges are anticipated in the project area, upsetting the ecological balance.

13. It is pertinent to mention it here that the diversion site of the project is near Soupi village of the remote Kapkot block of Uttarakhand State, the said place is about 8 km away from Sarmul Saudhara, the origin of the Saryu River. According to the Fisheries Rules, 2013, of Uttarakhand state, the habitat of the Golden Mahseer fish is not found in the said area, rather, this fish is found far away from the project site. Therefore, the statements given by the Applicant are not applicable to the said project.

A copy of the relevant part of the Fisheries Rules, 2013, is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/5**.

14. That it is to be brought to the notice of this Hon'ble Tribunal that in the report attached to the Original Application, the presence of Golden Mahseer fish in the Saryu River flowing in the said project area, as well as in the said project site, is not clearly mentioned anywhere.

15. It is further submitted that fish migration is typically studied through radio tagging or marking studies. However, no such scientific study has been conducted in the stretch of the Saryu River till date. Conducting such a study by the concerned department would provide more accurate data on migration patterns, helping to formulate better norms for conservation and management.

16. It is most humbly submitted that the project in question has not violated any norms related to the habitat of the Golden Mahseer, nor it is disturbing the flow of the river.

17. In view of the aforesaid submissions, it is therefore respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may dismiss the Application qua Respondent No.10, and/or may kindly be pleased to pass appropriate orders in the present Application.
18. That the answering respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to file a further affidavit(s) if the situation so warrants or this Hon'ble Tribunal so desires.
19. That the supporting affidavit along-with this reply is annexed herewith.

FILED BY



SAURABH RAJPAL AND AKSHAT AGARWAL
COUNSEL FOR RESPONDENT NO.10
D-206, 2ND FLOOR, LAJPAT NAGAR-1
NEW DELHI – 110024
MOB: - 9971792885
E-Mail: - advocatesaurabhrajpal@gmail.com

NEW DELHI
DATED: 13.10.2025

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 1004 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Prahlad Roy Goenka

...Applicant

Versus

Ministry of Environment Forest
and climate Change and Ors.

...Respondents

AFFIDAVIT

I, Rajesh Upadhyay, S/o. Harish Chandra Upadhyay, Aged About 36 years, R/o. House no. 05 Village Waja Post office Devaldhar District Bageshwar Uttarakhand do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I am Authorized Representative of Sarda Energy & Minerals Ltd. Respondent No. 10 and am well conversant with the facts and circumstances of the case and thus competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying reply has been drafted by my Counsel under my instruction based on knowledge and I affirm that statement of facts made herein are true and correct to my knowledge.
3. That the contents of the said reply be read as part of this affidavit and same are not repeated here for the sake of brevity.
4. That the annexures filed along with the reply are true copies of their respective originals.

Rajesh Upadhyay
Project Manager
Parvati
OPPONENT
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet Distt - Bageshwar
Uttarakhand

VERIFICATION

Verified at 09/10/2025 day October, 2025 that the contents of my aforesaid affidavit are true and correct to my knowledge. No part of it is false nor anything material has been concealed therefrom.

Rajesh Upadhyay
Project Manager
OPPONENT
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet Distt - Bageshwar
Uttarakhand



Sworn and signed Before me
BINDESHWARI JOSHI
NOTARY
PUBLIC
U.K. (INDIA)
09/10/25





BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 498 of 2015
(M.A. No. 628/2016)

IN THE MATTER OF:

Pushp Saini Vs. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors.

**CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER**

Present: Applicant:

**Respondent No. 1 :
Respondent Nos. 15&26:**

Respondent No. 19:

Respondent No. 22:

Respondent No. 37:

Ms. Shibani Ghosh, Adv. for Intervenor
Mr. Divya Prakash Pande , Adv.
Mr. Mukesh Verma, Adv.
Mr. Nishe Rajen Shonker and Ms. Anu K. Joy, Advs. for State of Kerala
Ms. K. Enatoli Sema, Adv. For Nagaland SPCB and Mr. Amith J, Adv.,
Mr. Shiv Mangal Sharma, AAG, Mr. Saurabh Rajpal, Adv., and Mr. Adhiraj Singh, Adv. for State of Rajasthan
Respondent Nos. 28&29: Mr. Nikhil Nayyar, Adv., Ms. Smriti Shah, Advs. for APPCB & TSPCB
Mr. G.M. Kawoosa, Adv. and Ms. Palak Mittal, Adv. for State of J&K
Mr. Guntur Prabhakar, Mr. Pramod Kumar and Mr. Gautam Prakhakar, Advs. for State of AP
Mr. Devraj Ashok, Adv. for State of Karnataka
Mr. A.K. Panda and Mr. M. Paikaray, Advs. for SPCB, Odisha
Mr. Atul Jha, Adv. For State of Chhattisgarh
Mr. Ranjan Mukherjee and Ms. Aprajita Mukherjee, Advs. For State of Meghalaya
Mr. Raja Chatterjee and Mr. Chanchal Kumar Ganguly, Advs., Mr. Piyush Sachdev, Adv. for State of WB
Mr. Aruna Mathura, Mr. Avneesh Arputham, Ms. Simran Jeet and Ms. Anuradha Arputham, Advs. For State of Sikkim
Mr. Edward Belho, Mr. K. Luikang Michael and Mr. Hoineithiam, Advs. for State of Nagaland
Ms. Yogmaya Agnihotra, Adv. for CECB
Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
Mr. Anil Shrivastav, Mr. Rituraj Biswas and Ms. Sujaya Bardhan, Advs. for State of Arunachal Pradesh
Mr. Tayenjam Momo Singh, Adv. for Meghalaya SPCB
Mr. Sapam Biswajit Meitei and Mr. Naresh Kumar Gaur, Advs. for MPCB
Mr. Gopal Singh, Mr. Rituraj Biswas, Advs. for State of Tripura
Mr. Dhruv Pal and Mr. Himanshu Pal, Advs. for State of Gujarat & GSPCB
Mr. Ajay Marwah, Adv. for HPSPCB
Mr. Gautam Singh, Adv. for Mr. Shoeab Alam, Adv. for State of Bihar
Mr. R. Rakesh Sharma, Adv. For State of Tamil Nadu & TN Pollution Control Board
Mr. Rajul Shrivastav, Adv. for MPPCB
Mr. V.K. Shukla, Adv. and Ms. Vijay Laxmi, Adv. for State of MP
Mr. Amrit Agarwal and Ms. Asha N. Basu, Advs. for WBPCB

Mr. Ravin Dubey, Adv.
 Mr. Utkarsh Sharma, Adv. for State of UP
 Mr. Gaurav M. Liberhan, AAG, State of Punjab
 Mr. Jogy Scaria, Adv., Mr. Reegan S. Bal and Ms. Beena Victor, Adv. for Kerala State Pollution Control Board
 Mr. Shuvodeep Roy, Adv. and Mr. Sayooj Mohandas M., Adv. for State of Assam and ASPCB
 Mr. Rajkumar, Adv. for Central Pollution Control Board
 Mr. Anil Grover, AAG, Mr. Rahul Khurana, Mr. Sandeep Yadav and Mr. Mishal Vij, Adv. for HSPCB
 Mr. Naginder Benipal, Adv. for PPCB
 Mr. B.V. Niren, Adv. and Mr. Vinayak Gupta, Adv.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
<p>Item No. 21 August 09, 2017 sn</p>	<p>The Learned Counsel appearing for Ministry of Environment, Forest and Climate Change submits that the Ministry has already completed river basin study of 6 river basins i.e. Siang River Basin, Twang River Basin, Bichom River Basin, Subansiri River Basin, Dibang River Basin and Lohit River Basin and upon study the Ministry has recommended the minimum flow of the river to be 18% of the average of lean season flow of the river. However, in some of the cases, it has stated to be even 20%.</p> <p>The Tribunal in the recent Judgment pronounced on river Ganga had directed 20% minimum environment flow to be maintained from Haridwar onwards on the basis of the average lean season flow. In light of the above and the clear stand being taken by the Ministry, we direct that all the rivers in the Country shall maintain minimum 15 % to 20% of the average lean season flow of that river. However, whichever State is unable to adhere to this average percentage, in that event we grant liberty to that State Government to move the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change who shall in</p>

	<p>Item No. 21</p> <p>August 09, 2017</p> <p>sn</p>	<p>consultation with the Ministry of Water Resources examine such a representation and if it is desirable to fix any lower percentage than the percentage aforesaid, then it will pass appropriate order. The order should be reasoned and thereafter it would be left to the discretion of the State concerned to follow the directions of the Ministry in accordance with law.</p> <p>We also grant liberty to the Applicant to move the Ministry of Environment, Forest and Climate Change if it has material with them in respect of any river of the country, which should have minimum environment flow in excess of 20%. If such representation is moved the same shall be disposed of by the Committee headed by Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in accordance with law.</p> <p>With the above direction, Original Application No. 498 of 2015 stands disposed of without any order as to cost.</p> <p><u>M.A. No. 628 of 2016</u></p> <p>This Application does not survive for consideration as the main Application itself stands disposed of.</p> <p>Thus, M.A. No. 628 of 2016 stands disposed of accordingly.</p> <p>.....,CP (Swatanter Kumar)</p> <p>.....,JM (Raghuvendra S. Rathore)</p> <p>.....,EM (Bikram Singh Sajwan)</p>
--	--	--



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVNL LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

ANNEXURE R-3

पंजीत का "उज्ज्वल" महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248 006 (उत्तराखण्ड), फ़ोन: 0135-2761485, फ़ैक्स: 0135-2761549
 Regd. Off. "UJWAL", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand), Phone 0135-2761485, Fax 0135-2761549

पत्रांक: 2996 / यूजेवीएनलि / 01 / प्र.नि. / W-1

दिनांक: 3/08/2018

सेवा में,

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एनएचपीसी लि०, फरीदाबाद।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टीएचडीसी लि०, ऋषिकेश।
3. समस्त निजी विकासकर्ता, जल विद्युत परियोजनायें, उत्तराखण्ड (सूची संलग्न)।


विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09.08.2017 के अन्तर्गत नदियों में न्यूनतम प्रवाह छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्रांक 708 दिनांक 5.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09.08.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड में स्थित समस्त जल विद्युत परियोजनाओं के बाध/बैराज/वियर से नदियों में सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय सन्तुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बनाये रखने के दृष्टिगत निरन्तर न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन पलो छोड़े जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त आदेश के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया उत्तराखण्ड राज्य में स्थित आपकी परियोजनाओं के बाध/बैराज/वियर से नदी में प्रतिदिन छोड़े जाने वाले जल प्रवाह का मासिक विवरण संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि


 (एस० एम० वर्मा)
 प्रबन्ध निदेशक

✓ प्रतिलिपि: सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह..... वर्ष.....

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता विकासकर्ता			
1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन रीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/बैराज/वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

हस्ताक्षर

List of Hydro-Electric Project under Operation with address in Uttarakhand State

S.N.	Name of Developer	Name of Project		Address
1	Him Urja Pvt Ltd	1	Rajwakti	Him Urja Pvt. Ltd. S-321, Panchsheel Park New Dehli- 110017
		2	Vanala	
2	Regency Aqua	3	Hanuman Ganga	Regency Aquaelectro & Motel Resorts Ltd. Regency Complex River View Road, Paonta Sahib (H.P)
	Regency Gangani Energy	4	Gangani	
	Regency Yamuna Energy	5	Badyar	
3	Uttar Bharat Power Pvt. Ltd	6	Sarju Stage-II	Uttar Bharat Hydro Power (P) Ltd. Mr. Naresh Goel, A-2/452, Sector-8, Rohini, Dehli-110085
		7	Sarju Stage-III	
4	Chamoli Hydro Pvt Ltd.	8	Deval	Chamoli Hydro Power Pvt. Ltd. Plot No. 813 Road No-41, Jubilee Hills, Hyderabad-500033
5	Gunsola Hydro	9	Agunda Thati	Gunsola Hydro Power Generation Pvt. Ltd., 179 Kalyan kung Panditwari Dehradun
6	Himalaya Hydro (P) Ltd.	10	Motighat	HIMALAYA HYDRO PVT. LTD., Plot No.-46, AMR Building, Flat No. 202, Road No.-10C MLA&MP Colony, Jubilee hills, HYDERABAD - 500 033.
		11	Tanga	
7	JPVL	12	Vishnuprayag	M/s Jai Prakash Ventures Limited Sector - 128 Noida - 201304 Distt. - Gautam Budh Nagar
8	Parvatiya Power Pvt Ltd.	13	Loharkhet	Parvatiya Power (P) Ltd 440 Khari Bazar, Ranikhet-263648
9	Swasti Power Pvt Ltd	14	Bhilangana	Sawsti power pvt Ltd Bhandari house near Govt Hospital Ghuttu road, Ghansali 249155
10	Birahignaga Hydro	15	Birahiganga	Birahi Ganga Hydro Power Ltd.; 32,33 Nehru Place Flat No.403 New Delhi-110019
11	Rishiganga Power	16	Rishiganga	Sanjeev Dhanda. Flat No. 515, Housefed complex, Pakowal, Ludhiana, Punjab
12	Bhilangana Hydro Power Ltd	17	Bhilangna III	Bhilangna Hydro Power Generation Pvt. Ltd. B-37, Sector-1 Noida201301
13	GVK	18	Srinagar	Alaknanda Hydro Power Company Limited, Koteshwar Colony, Post Office- Swit, Srinagar, Pauri Garhwal
14	THDC	19	Tehri Stage-I,	Corporate Office, Rishikesh Pragatipuram, By Pass Road, Rishikesh - 249201 (Uttarakhand)
		20	Koteshwar	
15	NHPC	21	Tankpur	N.H.P.C Office Complex, Sector-33, Faridabad - 121003 (Haryana)
		22	Dhauliganga	

संख्या- : 708/1/2018-05/24 (Writ)/2018

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विकासकर्ता (सूची संलग्न),
जल विद्युत परियोजनायें,
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 5 जून, 2018

विषय- :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेश दि0 09.08. 2017 के अन्तर्गत नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह छोड़े जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के द्वारा मूल आवेदन सं0-498/2015 (एम0ए0 सं0-628/2016) पुष्प सैनी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य, में नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (Minimum Environmental Flow) के सम्बन्ध में दि0-09-08-2017 को निम्न आदेश पारित किया गया है :-

"We direct that all the rivers in the country shall maintain minimum 15% to 20% of the average lean season flow of that river."

इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एच0ओ0/सा0-183-139/2017/4218-781 दिनांक 13-09-2017 के माध्यम से उक्त आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गए हैं।

तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में स्थित समस्त जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज/वियर से नदियों में सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 09-08-2017, पर्यावरणीय संतुलन एवं नदियों में सतत जल प्रवाह बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर न्यूनतम 15 प्रतिशत लीन सीजन फ्लो छोड़ना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या- 708 (2)/1/2018-05/24 (रिट)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (पी0एम0ओ0) भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (हाइड्रो), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0जे0वी0एन0लि0 देहरादून कृपया सम्बन्धित विकासकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक-ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड, देहरादून कृपया सम्बन्धित विकासकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव



Compose

Back Archive Move Delete Spam ...

E Flow Data Of Parvatiya Power Ltd 3

Yahoo/Sent ☆



Parvatiya Power Ltd Ppl
From: loharkhethep@yahoo.in
To: Urja PMO



Fri, 16 Aug, 2019 at 4:43 pm ☆

Dear Sir,
Please find herewith attachment the E Flow data of Parvatiya Power Ltd.

Regards
Ajay Joshi



IMG.pdf
1.8MB

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts 6
- Sent**
- Archive
- Spam
- Deleted Items
- ^ Less
- Views Hide
- Photos
- Documents
- Subscriptions
- Receipts

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता विकासकर्ता		माह जनवरी वर्ष 2019 पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-01-19	1.473	0.221	15.00
02-01-19	1.473	0.222	15.07
03-01-19	1.473	0.221	15.00
04-01-19	1.473	0.221	15.00
05-01-19	1.473	0.221	15.00
06-01-19	1.473	0.222	15.07
07-01-19	1.473	0.222	15.07
08-01-19	1.473	0.222	15.07
09-01-19	1.473	0.221	15.00
10-01-19	1.473	0.222	15.07
11-01-19	1.473	0.222	15.07
12-01-19	1.473	0.221	15.00
13-01-19	1.473	0.222	15.07
14-01-19	1.473	0.222	15.07
15-01-19	1.473	0.222	15.07
16-01-19	1.473	0.222	15.07
17-01-19	1.473	0.222	15.07
18-01-19	1.473	0.222	15.07
19-01-19	1.473	0.222	15.07
20-01-19	1.473	0.221	15.00
21-01-19	1.473	0.222	15.07
22-01-19	1.473	0.222	15.07
23-01-19	1.473	0.222	15.07
24-01-19	1.473	0.221	15.00
25-01-19	1.473	0.221	15.00
26-01-19	1.473	0.222	15.07
27-01-19	1.473	0.222	15.07
28-01-19	1.473	0.222	15.07
29-01-19	1.473	0.222	15.07
30-01-19	1.473	0.221	15.00
31-01-19	1.473	0.222	15.07

D.S.


Authorised Sign
Parvatiya Power Ltd
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet Distt. Bageshwar
Uttarkhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह फरवरी वर्ष 2019

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-02-19	1.473	0.221	15.00
02-02-19	1.473	0.222	15.07
03-02-19	1.473	0.221	15.00
04-02-19	1.473	0.221	15.00
05-02-19	1.473	0.221	15.00
06-02-19	1.473	0.221	15.00
07-02-19	1.473	0.222	15.07
08-02-19	1.473	0.221	15.00
09-02-19	1.473	0.221	15.00
10-02-19	1.473	0.221	15.00
11-02-19	1.473	0.221	15.00
12-02-19	1.473	0.221	15.00
13-02-19	1.473	0.221	15.00
14-02-19	1.473	0.222	15.07
15-02-19	1.473	0.229	15.55
16-02-19	1.473	0.227	15.41
17-02-19	1.473	0.221	15.00
18-02-19	1.473	0.222	15.07
19-02-19	1.473	0.248	16.84
20-02-19	1.473	0.221	15.00
21-02-19	1.473	0.384	26.07
22-02-19	1.473	0.336	22.81
23-02-19	1.473	0.284	19.28
24-02-19	1.473	0.268	18.19
25-02-19	1.473	0.252	17.11
26-02-19	1.473	0.238	16.16
27-02-19	1.473	0.242	16.43
28-02-19	1.473	0.259	17.58



Authorised Sign
Parvatiya Power Ltd
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet Distt Bageshwar
Uttarkhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह मार्च वर्ष 2019

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-03-19	1.473	0.240	16.293
02-03-19	1.473	0.235	15.954
03-03-19	1.473	0.279	18.941
04-03-19	1.473	0.266	18.058
05-03-19	1.473	0.270	18.330
06-03-19	1.473	0.250	16.972
07-03-19	1.473	0.244	16.565
08-03-19	1.473	0.236	16.022
09-03-19	1.473	0.239	16.225
10-03-19	1.473	0.238	16.158
11-03-19	1.473	0.238	16.158
12-03-19	1.473	0.254	17.244
13-03-19	1.473	0.265	17.990
14-03-19	1.473	0.243	16.497
15-03-19	1.473	0.279	18.941
16-03-19	1.473	0.258	17.515
17-03-19	1.473	0.268	18.194
18-03-19	1.473	0.262	17.787
19-03-19	1.473	0.260	17.651
20-03-19	1.473	0.273	18.534
21-03-19	1.473	0.270	18.330
22-03-19	1.473	0.267	18.126
23-03-19	1.473	0.264	17.923
24-03-19	1.473	0.280	19.009
25-03-19	1.473	0.322	21.860
26-03-19	1.473	0.376	25.526
27-03-19	1.473	0.389	26.409
28-03-19	1.473	0.417	28.310
29-03-19	1.473	0.454	30.821
30-03-19	1.473	0.495	33.605
31-03-19	1.473	0.475	32.247


Authorised Sign
Parvatiya Power Ltd

Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt Bageshwar
Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह April वर्ष 2019

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता		

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01.04.2019	1.473	0.414	28.106
02.04.2019	1.473	0.375	25.458
03.04.2019	1.473	0.398	27.020
04.04.2019	1.473	0.432	29.328
05.04.2019	1.473	0.435	29.532
06.04.2019	1.473	0.422	28.649
07.04.2019	1.473	0.421	28.581
08.04.2019	1.473	0.451	30.618
09.04.2019	1.473	0.440	29.871
10.04.2019	1.473	0.433	29.396
11.04.2019	1.473	0.443	30.075
12.04.2019	1.473	0.457	31.025
13.04.2019	1.473	0.435	29.532
14.04.2019	1.473	0.454	30.821
15.04.2019	1.473	0.426	28.921
16.04.2019	1.473	0.423	28.717
17.04.2019	1.473	0.478	32.451
18.04.2019	1.473	0.479	32.519
19.04.2019	1.473	0.434	29.464
20.04.2019	1.473	0.405	27.495
21.04.2019	1.473	0.410	27.834
22.04.2019	1.473	0.385	26.137
23.04.2019	1.473	0.372	25.255
24.04.2019	1.473	0.368	24.983
25.04.2019	1.473	0.385	26.137
26.04.2019	1.473	0.381	25.866
27.04.2019	1.473	0.384	26.069
28.04.2019	1.473	0.384	26.069
29.04.2019	1.473	0.384	26.069
30.04.2019	1.473	0.364	24.711



Authorised Sign
Parvatiya Power Ltd

Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet Distt. Bageshwar
Uttarkhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह May वर्ष 2019

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-05-19	1.473	0.350	23.761
02-05-19	1.473	0.374	25.390
03-05-19	1.473	0.380	25.798
04-05-19	1.473	0.358	24.304
05-05-19	1.473	0.330	22.403
06-05-19	1.473	0.309	20.978
07-05-19	1.473	0.303	20.570
08-05-19	1.473	0.301	20.434
09-05-19	1.473	0.302	20.502
10-05-19	1.473	0.296	20.095
11-05-19	1.473	0.293	19.891
12-05-19	1.473	0.285	19.348
13-05-19	1.473	0.286	19.416
14-05-19	1.473	0.275	18.669
15-05-19	1.473	0.273	18.534
16-05-19	1.473	0.272	18.466
17-05-19	1.473	0.268	18.194
18-05-19	1.473	0.269	18.262
19-05-19	1.473	0.264	17.923
20-05-19	1.473	0.268	18.194
21-05-19	1.473	0.272	18.466
22-05-19	1.473	0.265	17.990
23-05-19	1.473	0.269	18.262
24-05-19	1.473	0.275	18.669
25-05-19	1.473	0.272	18.466
26-05-19	1.473	0.256	17.379
27-05-19	1.473	0.248	16.836
28-05-19	1.473	0.241	16.361
29-05-19	1.473	0.242	16.429
30-05-19	1.473	0.235	15.954
31-05-19	1.473	0.256	17.379


 Authorised Sign
 Parvatiya Power Ltd
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet Distt Bageshwar
 Uttarakhand



Compose

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts 6
- Sent**
- Archive
- Spam
- Deleted Items
- ^ Less

Views Hide

- Photos
- Documents
- Subscriptions
- Receipts

Back

 Archive
 Move
 Delete
 Spam

Discharge data & Generation data April 2020

Yahoo/Sent ☆



Parvatiya Power Ltd Ppl
 From: loharkhethep@yahoo.in
 To: Urja PMO



Mon, 11 May, 2020 at 1:05 pm ☆

Dear sir,
Please find attached both discharge data and daily generation data for the M/o April 2020

Regards
PPL kapkote



IMG_0003.pdf
691.1kB

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह January वर्ष 2020

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-01-20	1.473	0.222	15.071
02-01-20	1.473	0.221	15.003
03-01-20	1.473	0.222	15.071
04-01-20	1.473	0.221	15.003
05-01-20	1.473	0.221	15.003
06-01-20	1.473	0.221	15.003
07-01-20	1.473	0.222	15.071
08-01-20	1.473	0.221	15.003
09-01-20	1.473	0.221	15.003
10-01-20	1.473	0.221	15.003
11-01-20	1.473	0.222	15.071
12-01-20	1.473	0.221	15.003
13-01-20	1.473	0.221	15.003
14-01-20	1.473	0.222	15.071
15-01-20	1.473	0.221	15.003
16-01-20	1.473	0.221	15.003
17-01-20	1.473	0.222	15.071
18-01-20	1.473	0.222	15.071
19-01-20	1.473	0.221	15.003
20-01-20	1.473	0.221	15.003
21-01-20	1.473	0.222	15.071
22-01-20	1.473	0.221	15.003
23-01-20	1.473	0.222	15.071
24-01-20	1.473	0.221	15.003
25-01-20	1.473	0.221	15.003
26-01-20	1.473	0.222	15.071
27-01-20	1.473	0.221	15.003
28-01-20	1.473	0.222	15.071
29-01-20	1.473	0.221	15.003
30-01-20	1.473	0.221	15.003
31-01-20	1.473	0.221	15.003


 Authorised Sign
 Parvatiya Power Ltd
 Loharkhet Hydro Electric Power Pla.
 Loharkhet Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह February वर्ष 2020

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-02-20	1.473	0.221	15.003
02-02-20	1.473	0.222	15.071
03-02-20	1.473	0.222	15.071
04-02-20	1.473	0.221	15.003
05-02-20	1.473	0.222	15.071
06-02-20	1.473	0.221	15.003
07-02-20	1.473	0.222	15.071
08-02-20	1.473	0.221	15.003
09-02-20	1.473	0.222	15.071
10-02-20	1.473	0.221	15.003
11-02-20	1.473	0.221	15.003
12-02-20	1.473	0.221	15.003
13-02-20	1.473	0.222	15.071
14-02-20	1.473	0.222	15.071
15-02-20	1.473	0.221	15.003
16-02-20	1.473	0.222	15.071
17-02-20	1.473	0.222	15.071
18-02-20	1.473	0.221	15.003
19-02-20	1.473	0.222	15.071
20-02-20	1.473	0.222	15.071
21-02-20	1.473	0.221	15.003
22-02-20	1.473	0.222	15.071
23-02-20	1.473	0.222	15.071
24-02-20	1.473	0.221	15.003
25-02-20	1.473	0.222	15.071
26-02-20	1.473	0.222	15.071
27-02-20	1.473	0.222	15.071
28-02-20	1.473	0.222	15.071
29-02-20	1.473	0.221	15.003


Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Loharkhet Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह March वर्ष 2020

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता		

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-03-20	1.473	0.222	15.071
02-03-20	1.473	0.221	15.003
03-03-20	1.473	0.221	15.003
04-03-20	1.473	0.222	15.071
05-03-20	1.473	0.221	15.003
06-03-20	1.473	0.222	15.071
07-03-20	1.473	0.222	15.071
08-03-20	1.473	0.221	15.003
09-03-20	1.473	0.221	15.003
10-03-20	1.473	0.222	15.071
11-03-20	1.473	0.222	15.071
12-03-20	1.473	0.221	15.003
13-03-20	1.473	0.221	15.003
14-03-20	1.473	0.221	15.003
15-03-20	1.473	0.222	15.071
16-03-20	1.473	0.222	15.071
17-03-20	1.473	0.222	15.071
18-03-20	1.473	0.221	15.003
19-03-20	1.473	0.222	15.071
20-03-20	1.473	0.222	15.071
21-03-20	1.473	0.221	15.003
22-03-20	1.473	0.221	15.003
23-03-20	1.473	0.222	15.071
24-03-20	1.473	0.222	15.071
25-03-20	1.473	0.222	15.071
26-03-20	1.473	0.221	15.003
27-03-20	1.473	0.222	15.071
28-03-20	1.473	0.222	15.071
29-03-20	1.473	0.221	15.003
30-03-20	1.473	0.222	15.071
31-03-20	1.473	0.222	15.071


 Parvatiya Power Ltd Sign
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Loharkhet Distt. Bageshwar
 Unarkhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह April वर्ष 2020

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-04-20	1.473	0.221	15.003
02-04-20	1.473	0.222	15.071
03-04-20	1.473	0.221	15.003
04-04-20	1.473	0.222	15.071
05-04-20	1.473	0.221	15.003
06-04-20	1.473	0.221	15.003
07-04-20	1.473	0.222	15.071
08-04-20	1.473	0.221	15.003
09-04-20	1.473	0.221	15.003
10-04-20	1.473	0.222	15.071
11-04-20	1.473	0.222	15.071
12-04-20	1.473	0.221	15.003
13-04-20	1.473	0.222	15.071
14-04-20	1.473	0.221	15.003
15-04-20	1.473	0.222	15.071
16-04-20	1.473	0.221	15.003
17-04-20	1.473	0.222	15.071
18-04-20	1.473	0.221	15.003
19-04-20	1.473	0.222	15.071
20-04-20	1.473	0.222	15.071
21-04-20	1.473	0.221	15.003
22-04-20	1.473	0.221	15.003
23-04-20	1.473	0.221	15.003
24-04-20	1.473	0.221	15.003
25-04-20	1.473	0.222	15.071
26-04-20	1.473	0.221	15.003
27-04-20	1.473	0.221	15.003
28-04-20	1.473	0.222	15.071
29-04-20	1.473	0.221	15.003
30-04-20	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar


Authorised Sign
Parvatiya Power Ltd
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar
Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह May वर्ष 2020

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-05-20	1.473	0.221	15.003
02-05-20	1.473	0.221	15.003
03-05-20	1.473	0.222	15.071
04-05-20	1.473	0.222	15.071
05-05-20	1.473	0.221	15.003
06-05-20	1.473	0.222	15.071
07-05-20	1.473	0.222	15.071
08-05-20	1.473	0.222	15.071
09-05-20	1.473	0.221	15.003
10-05-20	1.473	0.222	15.071
11-05-20	1.473	0.222	15.071
12-05-20	1.473	0.222	15.071
13-05-20	1.473	0.221	15.003
14-05-20	1.473	0.221	15.003
15-05-20	1.473	0.222	15.071
16-05-20	1.473	0.222	15.071
17-05-20	1.473	0.222	15.071
18-05-20	1.473	0.221	15.003
19-05-20	1.473	0.222	15.071
20-05-20	1.473	0.222	15.071
21-05-20	1.473	0.222	15.071
22-05-20	1.473	0.221	15.003
23-05-20	1.473	0.222	15.071
24-05-20	1.473	0.222	15.071
25-05-20	1.473	0.222	15.071
26-05-20	1.473	0.221	15.003
27-05-20	1.473	0.222	15.071
28-05-20	1.473	0.222	15.071
29-05-20	1.473	0.221	15.003
30-05-20	1.473	0.221	15.003
31-05-20	1.473	0.222	15.071


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Uttarakhand



Compose

Back

Archive

Move

Delete

Spam



- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts 6
- Sent**
- Archive
- Spam
- Deleted Items
- Less

Views Hide

- Photos
- Documents
- Subscriptions
- Receipts

Daily generation and Discharge Data

Yahoo/Sent



Parvatiya Power Ltd Ppl
 From: loharkhethep@yahoo.in
 To: Urja PMO



Thu, 24 Jun, 2021 at 9:45 am

Dear Sir,
 Please find herewith attachment the daily generation and discharge data for the month of May 2021.

Regards
 Parvatiya Power Ltd



IMG.pdf
1.2MB

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह January वर्ष 2021

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-01-21	1.473	0.221	15.003
02-01-21	1.473	0.222	15.071
03-01-21	1.473	0.221	15.003
04-01-21	1.473	0.221	15.003
05-01-21	1.473	0.222	15.071
06-01-21	1.473	0.221	15.003
07-01-21	1.473	0.221	15.003
08-01-21	1.473	0.222	15.071
09-01-21	1.473	0.221	15.003
10-01-21	1.473	0.221	15.003
11-01-21	1.473	0.222	15.071
12-01-21	1.473	0.222	15.071
13-01-21	1.473	0.221	15.003
14-01-21	1.473	0.221	15.003
15-01-21	1.473	0.222	15.071
16-01-21	1.473	0.221	15.003
17-01-21	1.473	0.221	15.003
18-01-21	1.473	0.221	15.003
19-01-21	1.473	0.222	15.071
20-01-21	1.473	0.222	15.071
21-01-21	1.473	0.221	15.003
22-01-21	1.473	0.222	15.071
23-01-21	1.473	0.222	15.071
24-01-21	1.473	0.222	15.071
25-01-21	1.473	0.221	15.003
26-01-21	1.473	0.222	15.071
27-01-21	1.473	0.222	15.071
28-01-21	1.473	0.222	15.071
29-01-21	1.473	0.221	15.003
30-01-21	1.473	0.222	15.071
31-01-21	1.473	0.222	15.071


 Authorised Sign
 Pervatiya Power Ltd
 Loharkhet Hydro Electric Power Pla.
 Loharkhet Distt Bageshwar
 Uttarkhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह February वर्ष 2021

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-02-21	1.473	0.221	15.003
02-02-21	1.473	0.221	15.003
03-02-21	1.473	0.222	15.071
04-02-21	1.473	0.221	15.003
05-02-21	1.473	0.221	15.003
06-02-21	1.473	0.221	15.003
07-02-21	1.473	0.222	15.071
08-02-21	1.473	0.221	15.003
09-02-21	1.473	0.222	15.071
10-02-21	1.473	0.221	15.003
11-02-21	1.473	0.221	15.003
12-02-21	1.473	0.221	15.003
13-02-21	1.473	0.221	15.003
14-02-21	1.473	0.222	15.071
15-02-21	1.473	0.221	15.003
16-02-21	1.473	0.222	15.071
17-02-21	1.473	0.222	15.071
18-02-21	1.473	0.221	15.003
19-02-21	1.473	0.222	15.071
20-02-21	1.473	0.221	15.003
21-02-21	1.473	0.221	15.003
22-02-21	1.473	0.221	15.003
23-02-21	1.473	0.222	15.071
24-02-21	1.473	0.221	15.003
25-02-21	1.473	0.222	15.071
26-02-21	1.473	0.222	15.071
27-02-21	1.473	0.221	15.003
28-02-21	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Authorized Sign
Parvatiya Power Ltd
Loharkhet Hydro Electric Power Pla.
Loharkhet Distt. Bageshwar
Uttarkhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह March वर्ष 2021

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता		

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-03-21	1.473	0.222	15.071
02-03-21	1.473	0.221	15.003
03-03-21	1.473	0.221	15.003
04-03-21	1.473	0.222	15.071
05-03-21	1.473	0.221	15.003
06-03-21	1.473	0.222	15.071
07-03-21	1.473	0.222	15.071
08-03-21	1.473	0.221	15.003
09-03-21	1.473	0.221	15.003
10-03-21	1.473	0.222	15.071
11-03-21	1.473	0.222	15.071
12-03-21	1.473	0.221	15.003
13-03-21	1.473	0.221	15.003
14-03-21	1.473	0.221	15.003
15-03-21	1.473	0.222	15.071
16-03-21	1.473	0.222	15.071
17-03-21	1.473	0.222	15.071
18-03-21	1.473	0.221	15.003
19-03-21	1.473	0.222	15.071
20-03-21	1.473	0.222	15.071
21-03-21	1.473	0.221	15.003
22-03-21	1.473	0.221	15.003
23-03-21	1.473	0.222	15.071
24-03-21	1.473	0.222	15.071
25-03-21	1.473	0.222	15.071
26-03-21	1.473	0.221	15.003
27-03-21	1.473	0.222	15.071
28-03-21	1.473	0.222	15.071
29-03-21	1.473	0.221	15.003
30-03-21	1.473	0.222	15.071
31-03-21	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar


Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का
विवरण

माह April वर्ष 2021

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-04-21	1.473	0.221	15.003
02-04-21	1.473	0.222	15.071
03-04-21	1.473	0.222	15.071
04-04-21	1.473	0.221	15.003
05-04-21	1.473	0.221	15.003
06-04-21	1.473	0.222	15.071
07-04-21	1.473	0.222	15.071
08-04-21	1.473	0.221	15.003
09-04-21	1.473	0.222	15.071
10-04-21	1.473	0.221	15.003
11-04-21	1.473	0.222	15.071
12-04-21	1.473	0.221	15.003
13-04-21	1.473	0.221	15.003
14-04-21	1.473	0.221	15.003
15-04-21	1.473	0.221	15.003
16-04-21	1.473	0.221	15.003
17-04-21	1.473	0.221	15.003
18-04-21	1.473	0.222	15.071
19-04-21	1.473	0.222	15.071
20-04-21	1.473	0.221	15.003
21-04-21	1.473	0.221	15.003
22-04-21	1.473	0.221	15.003
23-04-21	1.473	0.221	15.003
24-04-21	1.473	0.222	15.071
25-04-21	1.473	0.221	15.003
26-04-21	1.473	0.222	15.071
27-04-21	1.473	0.222	15.071
28-04-21	1.473	0.221	15.003
29-04-21	1.473	0.221	15.003
30-04-21	1.473	0.222	15.071


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

**जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का
विवरण**

माह May वर्ष 2021

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01-05-20	1.473	0.221	15.003
02-05-20	1.473	0.221	15.003
03-05-20	1.473	0.222	15.071
04-05-20	1.473	0.222	15.071
05-05-20	1.473	0.221	15.003
06-05-20	1.473	0.222	15.071
07-05-20	1.473	0.222	15.071
08-05-20	1.473	0.222	15.071
09-05-20	1.473	0.221	15.003
10-05-20	1.473	0.222	15.071
11-05-20	1.473	0.222	15.071
12-05-20	1.473	0.222	15.071
13-05-20	1.473	0.221	15.003
14-05-20	1.473	0.221	15.003
15-05-20	1.473	0.222	15.071
16-05-20	1.473	0.222	15.071
17-05-20	1.473	0.222	15.071
18-05-20	1.473	0.221	15.003
19-05-20	1.473	0.222	15.071
20-05-20	1.473	0.222	15.071
21-05-20	1.473	0.222	15.071
22-05-20	1.473	0.221	15.003
23-05-20	1.473	0.222	15.071
24-05-20	1.473	0.222	15.071
25-05-20	1.473	0.221	15.003
26-05-20	1.473	0.221	15.003
27-05-20	1.473	0.222	15.071
28-05-20	1.473	0.222	15.071
29-05-20	1.473	0.221	15.003
30-05-20	1.473	0.221	15.003
31-05-20	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Uttarakhand



Compose

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts 6
- Sent**
- Archive
- Spam
- Deleted Items
- ^ Less

Views Hide

- Photos
- Documents
- Subscriptions
- Receipts

Back

 Archive
 Move
 Delete
 Spam

E-Flow Data

Yahoo/Sent ☆

Parvatiya Power Ltd Ppl

 Sun, 8 May, 2022 at 10:33 am ☆

From: loharkhethep@yahoo.in
To: Urja PMO

Dear Sir,
Please find herewith attachment the daily generation and E- flow data for the month of April 2022.

Regards
Ajay Joshi
Parvatiya Power Ltd



IMG.pdf
2MB

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह January वर्ष 2022

पर्वतीय पावर लि० 4.8MW

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता		पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता			
1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jan-22	1.473	0.221	15.003
2-Jan-22	1.473	0.221	15.003
3-Jan-22	1.473	0.221	15.003
4-Jan-22	1.473	0.222	15.071
5-Jan-22	1.473	0.222	15.071
6-Jan-22	1.473	0.221	15.003
7-Jan-22	1.473	0.222	15.071
8-Jan-22	1.473	0.222	15.071
9-Jan-22	1.473	0.221	15.003
10-Jan-22	1.473	0.221	15.003
11-Jan-22	1.473	0.222	15.071
12-Jan-22	1.473	0.221	15.003
13-Jan-22	1.473	0.221	15.003
14-Jan-22	1.473	0.221	15.003
15-Jan-22	1.473	0.221	15.003
16-Jan-22	1.473	0.222	15.071
17-Jan-22	1.473	0.221	15.003
18-Jan-22	1.473	0.222	15.071
19-Jan-22	1.473	0.222	15.071
20-Jan-22	1.473	0.221	15.003
21-Jan-22	1.473	0.221	15.003
22-Jan-22	1.473	0.222	15.071
23-Jan-22	1.473	0.222	15.071
24-Jan-22	1.473	0.222	15.071
25-Jan-22	1.473	0.221	15.003
26-Jan-22	1.473	0.222	15.071
27-Jan-22	1.473	0.222	15.071
28-Jan-22	1.473	0.222	15.071
29-Jan-22	1.473	0.222	15.071
30-Jan-22	1.473	0.222	15.071
31-Jan-22	1.473	0.222	15.071

Mosl

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह February वर्ष 2022

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Feb-22	1.473	0.222	15.071
2-Feb-22	1.473	0.221	15.003
3-Feb-22	1.473	0.222	15.071
4-Feb-22	1.473	0.221	15.003
5-Feb-22	1.473	0.221	15.003
6-Feb-22	1.473	0.221	15.003
7-Feb-22	1.473	0.222	15.071
8-Feb-22	1.473	0.221	15.003
9-Feb-22	1.473	0.222	15.071
10-Feb-22	1.473	0.222	15.071
11-Feb-22	1.473	0.221	15.003
12-Feb-22	1.473	0.222	15.071
13-Feb-22	1.473	0.221	15.003
14-Feb-22	1.473	0.221	15.003
15-Feb-22	1.473	0.221	15.003
16-Feb-22	1.473	0.222	15.071
17-Feb-22	1.473	0.222	15.071
18-Feb-22	1.473	0.221	15.003
19-Feb-22	1.473	0.222	15.071
20-Feb-22	1.473	0.221	15.003
21-Feb-22	1.473	0.221	15.003
22-Feb-22	1.473	0.221	15.003
23-Feb-22	1.473	0.221	15.003
24-Feb-22	1.473	0.221	15.003
25-Feb-22	1.473	0.222	15.071
26-Feb-22	1.473	0.221	15.003
27-Feb-22	1.473	0.221	15.003
28-Feb-22	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह March वर्ष 2022

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता		

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01/03/2021	1.473	0.222	15.071
02/03/2021	1.473	0.221	15.003
03/03/2021	1.473	0.222	15.071
04/03/2021	1.473	0.221	15.003
05/03/2021	1.473	0.221	15.003
06/03/2021	1.473	0.222	15.071
07/03/2021	1.473	0.222	15.071
08/03/2021	1.473	0.221	15.003
09/03/2021	1.473	0.221	15.003
10/03/2021	1.473	0.221	15.003
11/03/2021	1.473	0.222	15.071
12/03/2021	1.473	0.221	15.003
13/03/2021	1.473	0.221	15.003
14/03/2021	1.473	0.221	15.003
15/03/2021	1.473	0.222	15.071
16/03/2021	1.473	0.222	15.071
17/03/2021	1.473	0.221	15.003
18/03/2021	1.473	0.221	15.003
19/03/2021	1.473	0.222	15.071
20/03/2021	1.473	0.222	15.071
21/03/2021	1.473	0.222	15.071
22/03/2021	1.473	0.221	15.003
23/03/2021	1.473	0.222	15.071
24/03/2021	1.473	0.221	15.003
25/03/2021	1.473	0.222	15.071
26/03/2021	1.473	0.221	15.003
27/03/2021	1.473	0.222	15.071
28/03/2021	1.473	0.221	15.003
29/03/2021	1.473	0.221	15.003
30/03/2021	1.473	0.222	15.071
31/03/2021			

27/05/21

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह April वर्ष 2022

पर्वतीय पावर लि० 4.8MW

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता		पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता			
1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
01/04/2021	1.473	0.221	15.003
02/04/2021	1.473	0.222	15.071
03/04/2021	1.473	0.221	15.003
04/04/2021	1.473	0.221	15.003
05/04/2021	1.473	0.221	15.003
06/04/2021	1.473	0.221	15.003
07/04/2021	1.473	0.222	15.071
08/04/2021	1.473	0.220	14.936
09/04/2021	1.473	0.222	15.071
10/04/2021	1.473	0.221	15.003
11/04/2021	1.473	0.222	15.071
12/04/2021	1.473	0.222	15.071
13/04/2021	1.473	0.221	15.003
14/04/2021	1.473	0.221	15.003
15/04/2021	1.473	0.221	15.003
16/04/2021	1.473	0.221	15.003
17/04/2021	1.473	0.221	15.003
18/04/2021	1.473	0.221	15.003
19/04/2021	1.473	0.222	15.071
20/04/2021	1.473	0.221	15.003
21/04/2021	1.473	0.221	15.003
22/04/2021	1.473	0.221	15.003
23/04/2021	1.473	0.221	15.003
24/04/2021	1.473	0.221	15.003
25/04/2021	1.473	0.222	15.071
26/04/2021	1.473	0.222	15.071
27/04/2021	1.473	0.222	15.071
28/04/2021	1.473	0.221	15.003
29/04/2021	1.473	0.222	15.071
30/04/2021	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Loharkhet, Dist. Bageshwar

Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह May वर्ष 2022

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-May-22	1.473	0.222	15.071
2-May-22	1.473	0.221	15.003
3-May-22	1.473	0.222	15.071
4-May-22	1.473	0.221	15.003
5-May-22	1.473	0.221	15.003
6-May-22	1.473	0.222	15.071
7-May-22	1.473	0.221	15.003
8-May-22	1.473	0.222	15.071
9-May-22	1.473	0.221	15.003
10-May-22	1.473	0.222	15.071
11-May-22	1.473	0.221	15.003
12-May-22	1.473	0.222	15.071
13-May-22	1.473	0.222	15.071
14-May-22	1.473	0.221	15.003
15-May-22	1.473	0.222	15.071
16-May-22	1.473	0.222	15.071
17-May-22	1.473	0.221	15.003
18-May-22	1.473	0.221	15.003
19-May-22	1.473	0.222	15.071
20-May-22	1.473	0.221	15.003
21-May-22	1.473	0.222	15.071
22-May-22	1.473	0.221	15.003
23-May-22	1.473	0.222	15.071
24-May-22	1.473	0.222	15.071
25-May-22	1.473	0.221	15.003
26-May-22	1.473	0.221	15.003
27-May-22	1.473	0.222	15.071
28-May-22	1.473	0.221	15.003
29-May-22	1.473	0.221	15.003
30-May-22	1.473	0.222	15.071
31-May-22	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar
Uttarakhand



Compose

- Inbox
- Unread
- Starred
- Drafts 6
- Sent**
- Archive
- Spam
- Deleted Items
- ^ Less

Views Hide

- Photos
- Documents
- Subscriptions
- Receipts

Back

 Archive
 Move
 Delete
 Spam

E Flow data for the month of Jan 2023 2

Yahoo/Sent ☆

Parvatiya Power Ltd Ppl
 From: loharkhethep@yahoo.in
 To: Urja PMO

Wed, 1 Feb, 2023 at 11:09 am ☆

Dear Sir,
Please find herewith attached the daily generation and discharge data for the month of January 2023.

Regards
Parvatiya Power Ltd
Kapkot Bageshwar



IMG.pdf
1.4MB

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह January वर्ष 2023

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jan-23	1.473	0.221	15.003
2-Jan-23	1.473	0.221	15.003
3-Jan-23	1.473	0.222	15.071
4-Jan-23	1.473	0.222	15.071
5-Jan-23	1.473	0.222	15.071
6-Jan-23	1.473	0.221	15.003
7-Jan-23	1.473	0.221	15.003
8-Jan-23	1.473	0.222	15.071
9-Jan-23	1.473	0.221	15.003
10-Jan-23	1.473	0.221	15.003
11-Jan-23	1.473	0.222	15.071
12-Jan-23	1.473	0.222	15.071
13-Jan-23	1.473	0.221	15.003
14-Jan-23	1.473	0.222	15.071
15-Jan-23	1.473	0.221	15.003
16-Jan-23	1.473	0.222	15.071
17-Jan-23	1.473	0.221	15.003
18-Jan-23	1.473	0.222	15.071
19-Jan-23	1.473	0.222	15.071
20-Jan-23	1.473	0.221	15.003
21-Jan-23	1.473	0.221	15.003
22-Jan-23	1.473	0.221	15.003
23-Jan-23	1.473	0.222	15.071
24-Jan-23	1.473	0.221	15.003
25-Jan-23	1.473	0.222	15.071
26-Jan-23	1.473	0.221	15.003
27-Jan-23	1.473	0.222	15.071
28-Jan-23	1.473	0.222	15.071
29-Jan-23	1.473	0.221	15.003
30-Jan-23	1.473	0.222	15.071
31-Jan-23	1.473	0.221	15.003


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह February वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Feb-22	1.473	0.222	15.071
2-Feb-22	1.473	0.222	15.071
3-Feb-22	1.473	0.222	15.071
4-Feb-22	1.473	0.221	15.003
5-Feb-22	1.473	0.222	15.071
6-Feb-22	1.473	0.221	15.003
7-Feb-22	1.473	0.222	15.071
8-Feb-22	1.473	0.222	15.071
9-Feb-22	1.473	0.222	15.071
10-Feb-22	1.473	0.222	15.071
11-Feb-22	1.473	0.221	15.003
12-Feb-22	1.473	0.222	15.071
13-Feb-22	1.473	0.221	15.003
14-Feb-22	1.473	0.222	15.071
15-Feb-22	1.473	0.221	15.003
16-Feb-22	1.473	0.222	15.071
17-Feb-22	1.473	0.222	15.071
18-Feb-22	1.473	0.221	15.003
19-Feb-22	1.473	0.222	15.071
20-Feb-22	1.473	0.221	15.003
21-Feb-22	1.473	0.222	15.071
22-Feb-22	1.473	0.221	15.003
23-Feb-22	1.473	0.221	15.003
24-Feb-22	1.473	0.222	15.071
25-Feb-22	1.473	0.222	15.071
26-Feb-22	1.473	0.221	15.003
27-Feb-22	1.473	0.222	15.071
28-Feb-22	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar


Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह March वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता		

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Mar-23	1.473	0.222	15.071
2-Mar-23	1.473	0.222	15.071
3-Mar-23	1.473	0.222	15.071
4-Mar-23	1.473	0.221	15.003
5-Mar-23	1.473	0.222	15.071
6-Mar-23	1.473	0.222	15.071
7-Mar-23	1.473	0.222	15.071
8-Mar-23	1.473	0.221	15.003
9-Mar-23	1.473	0.222	15.071
10-Mar-23	1.473	0.221	15.003
11-Mar-23	1.473	0.221	15.003
12-Mar-23	1.473	0.221	15.003
13-Mar-23	1.473	0.222	15.071
14-Mar-23	1.473	0.221	15.003
15-Mar-23	1.473	0.222	15.071
16-Mar-23	1.473	0.222	15.071
17-Mar-23	1.473	0.221	15.003
18-Mar-23	1.473	0.222	15.071
19-Mar-23	1.473	0.221	15.003
20-Mar-23	1.473	0.222	15.071
21-Mar-23	1.473	0.222	15.071
22-Mar-23	1.473	0.221	15.003
23-Mar-23	1.473	0.222	15.071
24-Mar-23	1.473	0.222	15.071
25-Mar-23	1.473	0.222	15.071
26-Mar-23	1.473	0.221	15.003
27-Mar-23	1.473	0.222	15.071
28-Mar-23	1.473	0.221	15.003
29-Mar-23	1.473	0.221	15.003
30-Mar-23	1.473	0.222	15.071
31-Mar-23	1.473	0.222	15.071



Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह April वर्ष 2023

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Apr-23	1.473	0.221	15.003
2-Apr-23	1.473	0.221	15.003
3-Apr-23	1.473	0.221	15.003
4-Apr-23	1.473	0.222	15.071
5-Apr-23	1.473	0.222	15.071
6-Apr-23	1.473	0.221	15.003
7-Apr-23	1.473	0.222	15.071
8-Apr-23	1.473	0.222	15.071
9-Apr-23	1.473	0.222	15.071
10-Apr-23	1.473	0.222	15.071
11-Apr-23	1.473	0.221	15.003
12-Apr-23	1.473	0.222	15.071
13-Apr-23	1.473	0.222	15.071
14-Apr-23	1.473	0.221	15.003
15-Apr-23	1.473	0.222	15.071
16-Apr-23	1.473	0.221	15.003
17-Apr-23	1.473	0.222	15.071
18-Apr-23	1.473	0.221	15.003
19-Apr-23	1.473	0.221	15.003
20-Apr-23	1.473	0.221	15.003
21-Apr-23	1.473	0.222	15.071
22-Apr-23	1.473	0.221	15.003
23-Apr-23	1.473	0.221	15.003
24-Apr-23	1.473	0.222	15.071
25-Apr-23	1.473	0.221	15.003
26-Apr-23	1.473	0.222	15.071
27-Apr-23	1.473	0.221	15.003
28-Apr-23	1.473	0.221	15.003
29-Apr-23	1.473	0.221	15.003
30-Apr-23	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar


Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह May वर्ष 2023

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-May-23	1.473	0.222	15.071
2-May-23	1.473	0.221	15.003
3-May-23	1.473	0.221	15.003
4-May-23	1.473	0.221	15.003
5-May-23	1.473	0.222	15.071
6-May-23	1.473	0.221	15.003
7-May-23	1.473	0.221	15.003
8-May-23	1.473	0.222	15.071
9-May-23	1.473	0.221	15.003
10-May-23	1.473	0.222	15.071
11-May-23	1.473	0.221	15.003
12-May-23	1.473	0.221	15.003
13-May-23	1.473	0.222	15.071
14-May-23	1.473	0.222	15.071
15-May-23	1.473	0.221	15.003
16-May-23	1.473	0.222	15.071
17-May-23	1.473	0.221	15.003
18-May-23	1.473	0.222	15.071
19-May-23	1.473	0.222	15.071
20-May-23	1.473	0.221	15.003
21-May-23	1.473	0.221	15.003
22-May-23	1.473	0.221	15.003
23-May-23	1.473	0.222	15.071
24-May-23	1.473	0.221	15.003
25-May-23	1.473	0.222	15.071
26-May-23	1.473	0.221	15.003
27-May-23	1.473	0.222	15.071
28-May-23	1.473	0.222	15.071
29-May-23	1.473	0.221	15.003
30-May-23	1.473	0.221	15.003
31-May-23	1.473	0.222	15.071



Parvatiya Power Ltd.

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar
Uttarakhand



Compose

Inbox 1

Unread

Starred

Drafts 5

Sent

Archive

Spam

Deleted Items

^ Less

Views Hide

Photos

Documents

Subscriptions

Back Archive Move Delete Spam

E Flow Data for the month of April 24

Yahoo/Sent



Parvatiya Power Ltd Ppl
From: loharkhethep@yahoo.in
To: Urja PMO



Mon, 6 May, 2024 at 9:23 am

Dear Sir,
Please find herewith attachment the E Flow data for the month of April 24

Regards



IMG.pdf
1.2MB

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह January वर्ष 2024

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बाध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jan-24	1.473	0.221	15.003
2-Jan-24	1.473	0.222	15.071
3-Jan-24	1.473	0.222	15.071
4-Jan-24	1.473	0.222	15.071
5-Jan-24	1.473	0.222	15.071
6-Jan-24	1.473	0.222	15.071
7-Jan-24	1.473	0.221	15.003
8-Jan-24	1.473	0.222	15.071
9-Jan-24	1.473	0.221	15.003
10-Jan-24	1.473	0.221	15.003
11-Jan-24	1.473	0.221	15.003
12-Jan-24	1.473	0.221	15.003
13-Jan-24	1.473	0.221	15.003
14-Jan-24	1.473	0.222	15.071
15-Jan-24	1.473	0.221	15.003
16-Jan-24	1.473	0.222	15.071
17-Jan-24	1.473	0.221	15.003
18-Jan-24	1.473	0.222	15.071
19-Jan-24	1.473	0.222	15.071
20-Jan-24	1.473	0.221	15.003
21-Jan-24	1.473	0.221	15.003
22-Jan-24	1.473	0.221	15.003
23-Jan-24	1.473	0.222	15.071
24-Jan-24	1.473	0.222	15.071
25-Jan-24	1.473	0.221	15.003
26-Jan-24	1.473	0.221	15.003
27-Jan-24	1.473	0.222	15.071
28-Jan-24	1.473	0.222	15.071
29-Jan-24	1.473	0.221	15.003
30-Jan-24	1.473	0.222	15.071
31-Jan-24	1.473	0.222	15.071

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह February वर्ष 2024

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बाध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Feb-24	1.473	0.222	15.071
2-Feb-24	1.473	0.221	15.003
3-Feb-24	1.473	0.221	15.003
4-Feb-24	1.473	0.221	15.003
5-Feb-24	1.473	0.221	15.003
6-Feb-24	1.473	0.221	15.003
7-Feb-24	1.473	0.222	15.071
8-Feb-24	1.473	0.222	15.071
9-Feb-24	1.473	0.222	15.071
10-Feb-24	1.473	0.222	15.071
11-Feb-24	1.473	0.222	15.071
12-Feb-24	1.473	0.222	15.071
13-Feb-24	1.473	0.221	15.003
14-Feb-24	1.473	0.221	15.003
15-Feb-24	1.473	0.221	15.003
16-Feb-24	1.473	0.222	15.071
17-Feb-24	1.473	0.221	15.003
18-Feb-24	1.473	0.221	15.003
19-Feb-24	1.473	0.221	15.003
20-Feb-24	1.473	0.221	15.003
21-Feb-24	1.473	0.222	15.071
22-Feb-24	1.473	0.222	15.071
23-Feb-24	1.473	0.221	15.003
24-Feb-24	1.473	0.222	15.071
25-Feb-24	1.473	0.221	15.003
26-Feb-24	1.473	0.221	15.003
27-Feb-24	1.473	0.221	15.003
28-Feb-24	1.473	0.221	15.003
29-Feb-24	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह March वर्ष 2024

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Mar-24	1.473	0.222	15.071
2-Mar-24	1.473	0.221	15.003
3-Mar-24	1.473	0.222	15.071
4-Mar-24	1.473	0.221	15.003
5-Mar-24	1.473	0.222	15.071
6-Mar-24	1.473	0.221	15.003
7-Mar-24	1.473	0.222	15.071
8-Mar-24	1.473	0.221	15.003
9-Mar-24	1.473	0.222	15.071
10-Mar-24	1.473	0.221	15.003
11-Mar-24	1.473	0.222	15.071
12-Mar-24	1.473	0.222	15.071
13-Mar-24	1.473	0.222	15.071
14-Mar-24	1.473	0.221	15.003
15-Mar-24	1.473	0.222	15.071
16-Mar-24	1.473	0.222	15.071
17-Mar-24	1.473	0.221	15.003
18-Mar-24	1.473	0.222	15.071
19-Mar-24	1.473	0.221	15.003
20-Mar-24	1.473	0.222	15.071
21-Mar-24	1.473	0.221	15.003
22-Mar-24	1.473	0.222	15.071
23-Mar-24	1.473	0.222	15.071
24-Mar-24	1.473	0.222	15.071
25-Mar-24	1.473	0.221	15.003
26-Mar-24	1.473	0.222	15.071
27-Mar-24	1.473	0.222	15.071
28-Mar-24	1.473	0.221	15.003
29-Mar-24	1.473	0.222	15.071
30-Mar-24	1.473	0.221	15.003
31-Mar-24	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह April वर्ष 2024

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Apr-24	1.473	0.221	15.003
2-Apr-24	1.473	0.222	15.071
3-Apr-24	1.473	0.221	15.003
4-Apr-24	1.473	0.221	15.003
5-Apr-24	1.473	0.221	15.003
6-Apr-24	1.473	0.221	15.003
7-Apr-24	1.473	0.222	15.071
8-Apr-24	1.473	0.221	15.003
9-Apr-24	1.473	0.222	15.071
10-Apr-24	1.473	0.222	15.071
11-Apr-24	1.473	0.222	15.071
12-Apr-24	1.473	0.222	15.071
13-Apr-24	1.473	0.221	15.003
14-Apr-24	1.473	0.221	15.003
15-Apr-24	1.473	0.222	15.071
16-Apr-24	1.473	0.222	15.071
17-Apr-24	1.473	0.222	15.071
18-Apr-24	1.473	0.221	15.003
19-Apr-24	1.473	0.222	15.071
20-Apr-24	1.473	0.222	15.071
21-Apr-24	1.473	0.222	15.071
22-Apr-24	1.473	0.221	15.003
23-Apr-24	1.473	0.221	15.003
24-Apr-24	1.473	0.221	15.003
25-Apr-24	1.473	0.221	15.003
26-Apr-24	1.473	0.221	15.003
27-Apr-24	1.473	0.222	15.071
28-Apr-24	1.473	0.222	15.071
29-Apr-24	1.473	0.221	15.003
30-Apr-24	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह May वर्ष 2024

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW	
विकासकर्ता		

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-May-24	1.473	0.221	15.003
2-May-24	1.473	0.222	15.071
3-May-24	1.473	0.222	15.071
4-May-24	1.473	0.222	15.071
5-May-24	1.473	0.222	15.071
6-May-24	1.473	0.221	15.003
7-May-24	1.473	0.222	15.071
8-May-24	1.473	0.222	15.071
9-May-24	1.473	0.221	15.003
10-May-24	1.473	0.221	15.003
11-May-24	1.473	0.221	15.003
12-May-24	1.473	0.222	15.071
13-May-24	1.473	0.222	15.071
14-May-24	1.473	0.221	15.003
15-May-24	1.473	0.221	15.003
16-May-24	1.473	0.222	15.071
17-May-24	1.473	0.221	15.003
18-May-24	1.473	0.222	15.071
19-May-24	1.473	0.222	15.071
20-May-24	1.473	0.222	15.071
21-May-24	1.473	0.221	15.003
22-May-24	1.473	0.222	15.071
23-May-24	1.473	0.222	15.071
24-May-24	1.473	0.221	15.003
25-May-24	1.473	0.221	15.003
26-May-24	1.473	0.221	15.003
27-May-24	1.473	0.221	15.003
28-May-24	1.473	0.222	15.071
29-May-24	1.473	0.221	15.003
30-May-24	1.473	0.222	15.071
31-May-24	1.473	0.222	15.071

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar

Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह June वर्ष 2024

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jun-24	1.473	0.221	15.003
2-Jun-24	1.473	0.222	15.071
3-Jun-24	1.473	0.221	15.003
4-Jun-24	1.473	0.222	15.071
5-Jun-24	1.473	0.221	15.003
6-Jun-24	1.473	0.221	15.003
7-Jun-24	1.473	0.222	15.071
8-Jun-24	1.473	0.222	15.071
9-Jun-24	1.473	0.221	15.003
10-Jun-24	1.473	0.222	15.071
11-Jun-24	1.473	0.221	15.003
12-Jun-24	1.473	0.221	15.003
13-Jun-24	1.473	0.222	15.071
14-Jun-24	1.473	0.221	15.003
15-Jun-24	1.473	0.222	15.071
16-Jun-24	1.473	0.221	15.003
17-Jun-24	1.473	0.221	15.003
18-Jun-24	1.473	0.222	15.071
19-Jun-24	1.473	0.221	15.003
20-Jun-24	1.473	0.221	15.003
21-Jun-24	1.473	0.222	15.071
22-Jun-24	1.473	0.222	15.071
23-Jun-24	1.473	0.222	15.071
24-Jun-24	1.473	0.222	15.071
25-Jun-24	1.473	0.221	15.003
26-Jun-24	1.473	0.221	15.003
27-Jun-24	1.473	0.221	15.003
28-Jun-24	1.473	0.222	15.071
29-Jun-24	1.473	0.221	15.003
30-Jun-24	1.473	0.221	15.003

Paryatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Paryatiya Power Ltd
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Dist. Bageshwar
Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह July वर्ष 2024

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jul-23	1.473	0.357	24.236
2-Jul-23	1.473	0.478	32.451
3-Jul-23	1.473	1.530	103.870
4-Jul-23	1.473	1.784	121.113
5-Jul-23	1.473	2.255	153.089
6-Jul-23	1.473	2.312	156.959
7-Jul-23	1.473	2.324	157.773
8-Jul-23	1.473	2.309	156.755
9-Jul-23	1.473	2.357	160.014
10-Jul-23	1.473	2.401	163.001
11-Jul-23	1.473	2.427	164.766
12-Jul-23	1.473	2.514	170.672
13-Jul-23	1.473	2.641	179.294
14-Jul-23	1.473	2.653	180.109
15-Jul-23	1.473	2.687	182.417
16-Jul-23	1.473	2.665	180.923
17-Jul-23	1.473	2.657	180.380
18-Jul-23	1.473	2.723	184.861
19-Jul-23	1.473	2.725	184.997
20-Jul-23	1.473	2.793	189.613
21-Jul-23	1.473	2.748	186.558
22-Jul-23	1.473	2.781	188.798
23-Jul-23	1.473	2.757	187.169
24-Jul-23	1.473	2.766	187.780
25-Jul-23	1.473	2.686	182.349
26-Jul-23	1.473	2.648	179.769
27-Jul-23	1.473	2.587	175.628
28-Jul-23	1.473	2.583	175.356
29-Jul-23	1.473	2.557	173.591
30-Jul-23	1.473	2.684	182.213
31-Jul-23	1.473	2.676	181.670

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह August वर्ष 2024

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Aug-24	1.473	2.684	182.213
2-Aug-24	1.473	2.658	180.448
3-Aug-24	1.473	2.712	184.114
4-Aug-24	1.473	2.731	185.404
5-Aug-24	1.473	2.756	187.101
6-Aug-24	1.473	2.624	178.140
7-Aug-24	1.473	2.705	183.625
8-Aug-24	1.473	2.614	177.461
9-Aug-24	1.473	2.563	173.999
10-Aug-24	1.473	2.687	182.417
11-Aug-24	1.473	2.654	180.177
12-Aug-24	1.473	2.687	182.417
13-Aug-24	1.473	2.679	181.874
14-Aug-24	1.473	2.681	182.010
15-Aug-24	1.473	2.627	178.344
16-Aug-24	1.473	2.649	179.837
17-Aug-24	1.473	2.678	181.806
18-Aug-24	1.473	2.689	182.553
19-Aug-24	1.473	2.682	182.077
20-Aug-24	1.473	2.686	182.349
21-Aug-24	1.473	2.694	182.892
22-Aug-24	1.473	2.673	181.466
23-Aug-24	1.473	2.688	182.485
24-Aug-24	1.473	2.632	178.683
25-Aug-24	1.473	2.646	179.633
26-Aug-24	1.473	2.548	172.980
27-Aug-24	1.473	2.498	169.586
28-Aug-24	1.473	2.502	169.857
29-Aug-24	1.473	2.543	172.641
30-Aug-24	1.473	2.642	179.362
31-Aug-24	1.473	2.647	179.701

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह September वर्ष 2024

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Sep-21	1.473	2.697	183.096
2-Sep-21	1.473	2.673	181.466
3-Sep-21	1.473	2.684	182.213
4-Sep-21	1.473	2.657	180.380
5-Sep-21	1.473	2.676	181.670
6-Sep-21	1.473	2.694	182.892
7-Sep-21	1.473	2.675	181.602
8-Sep-21	1.473	2.668	181.127
9-Sep-21	1.473	2.669	181.195
10-Sep-21	1.473	2.651	179.973
11-Sep-21	1.473	2.648	179.769
12-Sep-21	1.473	2.644	179.498
13-Sep-21	1.473	2.649	179.837
14-Sep-21	1.473	2.645	179.566
15-Sep-21	1.473	2.647	179.701
16-Sep-21	1.473	2.631	178.615
17-Sep-21	1.473	2.634	178.819
18-Sep-21	1.473	2.632	178.683
19-Sep-21	1.473	2.630	178.534
20-Sep-21	1.473	2.597	176.307
21-Sep-21	1.473	2.548	172.980
22-Sep-21	1.473	2.473	167.889
23-Sep-21	1.473	2.426	164.698
24-Sep-21	1.473	2.341	158.927
25-Sep-21	1.473	2.105	142.906
26-Sep-21	1.473	1.974	134.012
27-Sep-21	1.473	1.523	103.394
28-Sep-21	1.473	1.421	96.470
29-Sep-21	1.473	1.246	84.589
30-Sep-21	1.473	1.187	80.584

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar


Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का
विवरण

माह October वर्ष 2024

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Oct-23	1.473	1.850	125.594
2-Oct-23	1.473	1.749	118.737
3-Oct-23	1.473	1.542	104.684
4-Oct-23	1.473	1.264	85.811
5-Oct-23	1.473	1.087	73.795
6-Oct-23	1.473	0.989	67.142
7-Oct-23	1.473	0.985	66.870
8-Oct-23	1.473	0.853	57.909
9-Oct-23	1.473	0.754	51.188
10-Oct-23	1.473	0.621	42.159
11-Oct-23	1.473	0.509	34.555
12-Oct-23	1.473	0.397	26.952
13-Oct-23	1.473	0.287	19.484
14-Oct-23	1.473	0.241	16.361
15-Oct-23	1.473	0.231	15.682
16-Oct-23	1.473	0.221	15.003
17-Oct-23	1.473	0.222	15.071
18-Oct-23	1.473	0.221	15.003
19-Oct-23	1.473	0.222	15.071
20-Oct-23	1.473	0.222	15.071
21-Oct-23	1.473	0.221	15.003
22-Oct-23	1.473	0.222	15.071
23-Oct-23	1.473	0.222	15.071
24-Oct-23	1.473	0.222	15.071
25-Oct-23	1.473	0.221	15.003
26-Oct-23	1.473	0.222	15.071
27-Oct-23	1.473	0.222	15.071
28-Oct-23	1.473	0.222	15.071
29-Oct-23	1.473	0.222	15.071
30-Oct-23	1.473	0.221	15.003
31-Oct-23	1.473	0.222	15.071


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह November वर्ष 2024

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Nov-23	1.473	0.221	15.003
2-Nov-23	1.473	0.222	15.071
3-Nov-23	1.473	0.221	15.003
4-Nov-23	1.473	0.222	15.071
5-Nov-23	1.473	0.222	15.071
6-Nov-23	1.473	0.221	15.003
7-Nov-23	1.473	0.222	15.071
8-Nov-23	1.473	0.222	15.071
9-Nov-23	1.473	0.222	15.071
10-Nov-23	1.473	0.221	15.003
11-Nov-23	1.473	0.222	15.071
12-Nov-23	1.473	0.222	15.071
13-Nov-23	1.473	0.222	15.071
14-Nov-23	1.473	0.222	15.071
15-Nov-23	1.473	0.221	15.003
16-Nov-23	1.473	0.221	15.003
17-Nov-23	1.473	0.222	15.071
18-Nov-23	1.473	0.221	15.003
19-Nov-23	1.473	0.222	15.071
20-Nov-23	1.473	0.222	15.071
21-Nov-23	1.473	0.222	15.071
22-Nov-23	1.473	0.221	15.003
23-Nov-23	1.473	0.222	15.071
24-Nov-23	1.473	0.222	15.071
25-Nov-23	1.473	0.222	15.071
26-Nov-23	1.473	0.221	15.017
27-Nov-23	1.473	0.221	15.003
28-Nov-23	1.473	0.221	15.003
29-Nov-23	1.473	0.222	15.071
30-Nov-23	1.473	0.221	15.003


Moc!

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	माह December वर्ष 2024
विकासकर्ता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Dec-24	1.473	0.221	15.003
2-Dec-24	1.473	0.221	15.003
3-Dec-24	1.473	0.222	15.071
4-Dec-24	1.473	0.221	15.003
5-Dec-24	1.473	0.222	15.071
6-Dec-24	1.473	0.222	15.071
7-Dec-24	1.473	0.222	15.071
8-Dec-24	1.473	0.221	15.003
9-Dec-24	1.473	0.222	15.071
10-Dec-24	1.473	0.222	15.071
11-Dec-24	1.473	0.222	15.071
12-Dec-24	1.473	0.221	15.017
13-Dec-24	1.473	0.221	15.003
14-Dec-24	1.473	0.222	15.071
15-Dec-24	1.473	0.222	15.071
16-Dec-24	1.473	0.222	15.071
17-Dec-24	1.473	0.221	15.003
18-Dec-24	1.473	0.222	15.071
19-Dec-24	1.473	0.222	15.071
20-Dec-24	1.473	0.221	15.003
21-Dec-24	1.473	0.222	15.071
22-Dec-24	1.473	0.222	15.071
23-Dec-24	1.473	0.221	15.003
24-Dec-24	1.473	0.222	15.071
25-Dec-24	1.473	0.222	15.071
26-Dec-24	1.473	0.222	15.071
27-Dec-24	1.473	0.221	15.003
28-Dec-24	1.473	0.222	15.071
29-Dec-24	1.473	0.222	15.071
30-Dec-24	1.473	0.221	15.003
31-Dec-24	1.473	0.221	15.003


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	माह January वर्ष 2025
विकासकर्ता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW


1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jan-25	1.473	0.221	15.003
2-Jan-25	1.473	0.222	15.071
3-Jan-25	1.473	0.221	15.003
4-Jan-25	1.473	0.221	15.003
5-Jan-25	1.473	0.221	15.003
6-Jan-25	1.473	0.221	15.003
7-Jan-25	1.473	0.221	15.003
8-Jan-25	1.473	0.221	15.003
9-Jan-25	1.473	0.222	15.071
10-Jan-25	1.473	0.221	15.003
11-Jan-25	1.473	0.222	15.071
12-Jan-25	1.473	0.222	15.071
13-Jan-25	1.473	0.221	15.003
14-Jan-25	1.473	0.221	15.003
15-Jan-25	1.473	0.221	15.003
16-Jan-25	1.473	0.222	15.071
17-Jan-25	1.473	0.222	15.071
18-Jan-25	1.473	0.222	15.071
19-Jan-25	1.473	0.221	15.003
20-Jan-25	1.473	0.221	15.003
21-Jan-25	1.473	0.221	15.003
22-Jan-25	1.473	0.222	15.071
23-Jan-25	1.473	0.222	15.071
24-Jan-25	1.473	0.221	15.003
25-Jan-25	1.473	0.221	15.003
26-Jan-25	1.473	0.222	15.071
27-Jan-25	1.473	0.222	15.071
28-Jan-25	1.473	0.221	15.003
29-Jan-25	1.473	0.222	15.071
30-Jan-25	1.473	0.222	15.071
31-Jan-25	1.473	0.222	15.071

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह February वर्ष 2025

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Feb-25	1.473	0.221	15.003
2-Feb-25	1.473	0.222	15.071
3-Feb-25	1.473	0.221	15.003
4-Feb-25	1.473	0.221	15.003
5-Feb-25	1.473	0.222	15.071
6-Feb-25	1.473	0.221	15.003
7-Feb-25	1.473	0.221	15.003
8-Feb-25	1.473	0.221	15.071
9-Feb-25	1.473	0.222	15.003
10-Feb-25	1.473	0.221	15.071
11-Feb-25	1.473	0.222	15.071
12-Feb-25	1.473	0.222	15.071
13-Feb-25	1.473	0.222	15.071
14-Feb-25	1.473	0.221	15.003
15-Feb-25	1.473	0.221	15.003
16-Feb-25	1.473	0.221	15.003
17-Feb-25	1.473	0.222	15.071
18-Feb-25	1.473	0.222	15.071
19-Feb-25	1.473	0.221	15.003
20-Feb-25	1.473	0.222	15.071
21-Feb-25	1.473	0.222	15.071
22-Feb-25	1.473	0.221	15.003
23-Feb-25	1.473	0.222	15.071
24-Feb-25	1.473	0.222	15.071
25-Feb-25	1.473	0.221	15.003
26-Feb-25	1.473	0.221	15.003
27-Feb-25	1.473	0.222	15.071
28-Feb-25	1.473	0.221	15.003


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह March वर्ष 2025

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Mar-25	1.473	0.221	15.003
2-Mar-25	1.473	0.221	15.003
3-Mar-25	1.473	0.222	15.071
4-Mar-25	1.473	0.221	15.003
5-Mar-25	1.473	0.222	15.071
6-Mar-25	1.473	0.222	15.071
7-Mar-25	1.473	0.222	15.071
8-Mar-25	1.473	0.221	15.003
9-Mar-25	1.473	0.222	15.071
10-Mar-25	1.473	0.221	15.003
11-Mar-25	1.473	0.221	15.003
12-Mar-25	1.473	0.221	15.003
13-Mar-25	1.473	0.222	15.071
14-Mar-25	1.473	0.222	15.071
15-Mar-25	1.473	0.222	15.071
16-Mar-25	1.473	0.221	15.003
17-Mar-25	1.473	0.221	15.003
18-Mar-25	1.473	0.222	15.071
19-Mar-25	1.473	0.221	15.003
20-Mar-25	1.473	0.222	15.071
21-Mar-25	1.473	0.222	15.071
22-Mar-25	1.473	0.221	15.003
23-Mar-25	1.473	0.222	15.071
24-Mar-25	1.473	0.222	15.071
25-Mar-25	1.473	0.221	15.003
26-Mar-25	1.473	0.222	15.071
27-Mar-25	1.473	0.222	15.071
28-Mar-25	1.473	0.221	15.003
29-Mar-25	1.473	0.222	15.071
30-Mar-25	1.473	0.222	15.071
31-Mar-25	1.473	0.221	15.003

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar


Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह April वर्ष 2025

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Apr-25	1.473	0.221	15.003
2-Apr-25	1.473	0.222	15.071
3-Apr-25	1.473	0.221	15.003
4-Apr-25	1.473	0.221	15.003
5-Apr-25	1.473	0.230	15.614
6-Apr-25	1.473	0.231	15.682
7-Apr-25	1.473	0.229	15.547
8-Apr-25	1.473	0.229	15.547
9-Apr-25	1.473	0.229	15.547
10-Apr-25	1.473	0.222	15.071
11-Apr-25	1.473	0.819	55.601
12-Apr-25	1.473	0.821	55.737
13-Apr-25	1.473	0.818	55.533
14-Apr-25	1.473	0.820	55.669
15-Apr-25	1.473	0.816	55.397
16-Apr-25	1.473	0.818	55.533
17-Apr-25	1.473	0.819	55.601
18-Apr-25	1.473	0.818	55.533
19-Apr-25	1.473	0.819	55.601
20-Apr-25	1.473	1.124	76.307
21-Apr-25	1.473	1.121	76.103
22-Apr-25	1.473	1.042	70.740
23-Apr-25	1.473	1.087	73.795
24-Apr-25	1.473	1.124	76.307
25-Apr-25	1.473	1.208	82.010
26-Apr-25	1.473	1.145	77.733
27-Apr-25	1.473	1.132	76.850
28-Apr-25	1.473	1.125	76.375
29-Apr-25	1.473	1.119	75.967
30-Apr-25	1.473	1.106	75.085



 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विधुत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह May वर्ष 2025

जल विधुत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-May-25	1.473	1.124	76.307
2-May-25	1.473	1.121	76.103
3-May-25	1.473	1.042	70.740
4-May-25	1.473	1.087	73.795
5-May-25	1.473	1.124	76.307
6-May-25	1.473	1.208	82.010
7-May-25	1.473	1.145	77.733
8-May-25	1.473	1.132	76.850
9-May-25	1.473	1.125	76.375
10-May-25	1.473	1.119	75.967
11-May-25	1.473	1.106	75.085
12-May-25	1.473	1.124	76.307
13-May-25	1.473	1.128	76.578
14-May-25	1.473	1.126	76.443
15-May-25	1.473	1.123	76.239
16-May-25	1.473	0.222	15.071
17-May-25	1.473	0.221	15.003
18-May-25	1.473	0.222	15.071
19-May-25	1.473	0.222	15.071
20-May-25	1.473	0.223	15.139
21-May-25	1.473	0.223	15.139
22-May-25	1.473	0.221	15.003
23-May-25	1.473	0.222	15.071
24-May-25	1.473	0.222	15.071
25-May-25	1.473	0.221	15.003
26-May-25	1.473	0.223	15.139
27-May-25	1.473	0.222	15.071
28-May-25	1.473	0.222	15.071
29-May-25	1.473	0.223	15.139
30-May-25	1.473	0.222	15.071
31-May-25	1.473	0.221	15.003



Paryatiya Power Ltd.

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Bageshwar

Loharkhet Hydro Electric Power Plant

Loharkhet, Distt. Bageshwar


Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का
विवरण

माह June वर्ष 2025

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jun-25	1.473	0.223	15.139
2-Jun-25	1.473	0.221	15.003
3-Jun-25	1.473	0.222	15.071
4-Jun-25	1.473	0.222	15.071
5-Jun-25	1.473	0.223	15.139
6-Jun-25	1.473	0.222	15.071
7-Jun-25	1.473	0.223	15.139
8-Jun-25	1.473	0.223	15.139
9-Jun-25	1.473	0.222	15.071
10-Jun-25	1.473	0.221	15.003
11-Jun-25	1.473	0.223	15.139
12-Jun-25	1.473	0.222	15.071
13-Jun-25	1.473	0.223	15.139
14-Jun-25	1.473	0.222	15.071
15-Jun-25	1.473	0.222	15.071
16-Jun-25	1.473	0.223	15.139
17-Jun-25	1.473	0.221	15.003
18-Jun-25	1.473	0.222	15.071
19-Jun-25	1.473	0.223	15.139
20-Jun-25	1.473	0.221	15.003
21-Jun-25	1.473	0.222	15.071
22-Jun-25	1.473	0.223	15.139
23-Jun-25	1.473	0.222	15.071
24-Jun-25	1.473	1.243	84.386
25-Jun-25	1.473	1.843	125.119
26-Jun-25	1.473	2.641	179.294
27-Jun-25	1.473	2.589	175.764
28-Jun-25	1.473	2.617	177.665
29-Jun-25	1.473	2.478	168.228
30-Jun-25	1.473	2.548	172.980


 Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह July वर्ष 2025

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Jul-25	1.473	2.641	179.294
2-Jul-25	1.473	2.724	184.929
3-Jul-25	1.473	2.742	186.151
4-Jul-25	1.473	2.698	183.164
5-Jul-25	1.473	2.750	186.694
6-Jul-25	1.473	2.684	182.213
7-Jul-25	1.473	2.589	175.764
8-Jul-25	1.473	2.614	177.461
9-Jul-25	1.473	2.563	173.999
10-Jul-25	1.473	2.687	182.417
11-Jul-25	1.473	2.578	175.017
12-Jul-25	1.473	2.687	182.417
13-Jul-25	1.473	2.679	181.874
14-Jul-25	1.473	2.701	183.367
15-Jul-25	1.473	2.627	178.344
16-Jul-25	1.473	2.649	179.837
17-Jul-25	1.473	2.583	175.356
18-Jul-25	1.473	2.689	182.553
19-Jul-25	1.473	2.682	182.077
20-Jul-25	1.473	2.686	182.349
21-Jul-25	1.473	2.694	182.892
22-Jul-25	1.473	2.673	181.466
23-Jul-25	1.473	2.642	179.362
24-Jul-25	1.473	2.632	178.683
25-Jul-25	1.473	2.646	179.633
26-Jul-25	1.473	5.726	388.730
27-Jul-25	1.473	2.498	169.586
28-Jul-25	1.473	2.621	177.936
29-Jul-25	1.473	2.635	178.887
30-Jul-25	1.473	2.642	179.362
31-Jul-25	1.473	2.542	172.573

Parvatiya Power Ltd.
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Bageshwar
 Loharkhet Hydro Electric Power Plant
 Loharkhet, Distt. Bageshwar
 Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदीयों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का
विवरण

माह August वर्ष 2025

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Aug-25	1.473	2.598	176.375
2-Aug-25	1.473	2.652	180.041
3-Aug-25	1.473	2.641	179.294
4-Aug-25	1.473	2.631	178.615
5-Aug-25	1.473	2.556	173.523
6-Aug-25	1.473	2.521	171.147
7-Aug-25	1.473	2.724	184.929
8-Aug-25	1.473	2.697	183.096
9-Aug-25	1.473	2.663	180.788
10-Aug-25	1.473	2.607	176.986
11-Aug-25	1.473	2.632	178.683
12-Aug-25	1.473	2.674	181.534
13-Aug-25	1.473	2.629	178.479
14-Aug-25	1.473	2.641	179.294
15-Aug-25	1.473	2.702	183.435
16-Aug-25	1.473	2.650	179.905
17-Aug-25	1.473	5.211	353.768
18-Aug-25	1.473	2.721	184.725
19-Aug-25	1.473	2.687	182.417
20-Aug-25	1.473	2.666	180.991
21-Aug-25	1.473	2.674	181.534
22-Aug-25	1.473	2.683	182.145
23-Aug-25	1.473	2.689	182.553
24-Aug-25	1.473	2.692	182.756
25-Aug-25	1.473	2.610	177.189
26-Aug-25	1.473	2.648	179.769
27-Aug-25	1.473	2.698	183.164
28-Aug-25	1.473	2.682	182.077
29-Aug-25	1.473	2.643	179.430
30-Aug-25	1.473	2.642	179.362
31-Aug-25	1.473	2.646	179.633

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

जल विद्युत परियोजनाओं के बांध/ बैराज /वियर से नदियों में प्रतिदिन छोड़े गये जल प्रवाह का विवरण

माह September वर्ष 2025

जल विद्युत परियोजना का नाम एवं क्षमता	पर्वतीय पावर लि० 4.8MW
विकासकर्ता	

1	2	3	4
दिनांक	औसत लीन सीजन प्रवाह (क्यूमेक)	बांध/ बैराज /वियर से नदी में छोड़ा गया जल प्रवाह (क्यूमेक)	कालम 2 के अनुसार छोड़े गये जल प्रवाह का प्रतिशत
1-Sep-25	1.473	2.647	179.701
2-Sep-25	1.473	2.612	177.325
3-Sep-25	1.473	2.621	177.936
4-Sep-25	1.473	2.642	179.362
5-Sep-25	1.473	2.637	179.022
6-Sep-25	1.473	2.649	179.837
7-Sep-25	1.473	2.641	179.294
8-Sep-25	1.473	2.628	178.411
9-Sep-25	1.473	2.632	178.683
10-Sep-25	1.473	2.619	177.800
11-Sep-25	1.473	2.578	175.017
12-Sep-25	1.473	2.564	174.067
13-Sep-25	1.473	2.549	173.048
14-Sep-25	1.473	2.545	172.777
15-Sep-25	1.473	2.547	172.912
16-Sep-25	1.473	2.431	165.037
17-Sep-25	1.473	2.424	164.562
18-Sep-25	1.473	2.389	162.186
19-Sep-25	1.473	2.329	158.113
20-Sep-25	1.473	2.321	157.570
21-Sep-25	1.473	2.354	159.810
22-Sep-25	1.473	2.347	159.335
23-Sep-25	1.473	2.326	157.909
24-Sep-25	1.473	2.314	157.094
25-Sep-25	1.473	2.326	157.909
26-Sep-25	1.473	2.245	152.410
27-Sep-25	1.473	2.451	166.395
28-Sep-25	1.473	2.135	144.942
29-Sep-25	1.473	2.214	150.305
30-Sep-25	1.473	2.145	145.621

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Bageshwar

Parvatiya Power Ltd.
Loharkhet Hydro Electric Power Plant
Loharkhet, Distt. Bageshwar
Uttarakhand

ANNEXURE R-5

उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन अनुभाग-2

25 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 880/07(03)/2008 (मत्स्य)-श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2003) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जल क्षेत्रों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन, संरक्षण, मत्स्य विकास, प्रबन्धन, मत्स्य पालन तथा संग्रहण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड मत्स्य नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1.	<p>(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 है।</p> <p>(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।</p> <p>(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।</p>
परिभाषाएँ	2.	<p>जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-</p> <p>(1) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है,</p> <p>(2) "बीट" का वही अर्थ होगा जो इस नियमावली में मछली शिकारमाही के लिए निर्धारित सीमा क्षेत्र नियत है;</p> <p>(3) "निदेशक" से निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;</p> <p>(4) "ताल" से झील, तालाब, झोहड़, पोखर आदि अभिप्रेत है,</p> <p>(5) "तौल केन्द्र" से निदेशक या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियत किया गया ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां पकड़ी गई मछलियों को एकत्र किया जाता है;</p> <p>(6) "लाईसेन्स" से इस नियमावली के अधीन मत्स्य विभाग/अन्य सम्बन्धित विभागों की कार्यदायी संस्था/इकाई को जारी लाईसेन्स अभिप्रेत है;</p> <p>(7) "परमिट" से इस नियमावली के अधीन एग्लिंग/मत्स्य आखेट हेतु सक्षम संस्था/व्यक्ति/अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति अभिप्रेत है;</p> <p>(8) "एग्लिंग" से मत्स्य क्रीड़ा/मत्स्य आखेट अभिप्रेत है;</p> <p>(9) "परिशिष्ट" से इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;</p> <p>(10) "ट्राउट जलक्षेत्र" से नदियों या जलधाराओं का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ ट्राउट मछली का विकास किया जा रहा है;</p>

(2)

		<p>(11) "महाशीर जलक्षेत्र " से नदियों या जलधाराओं और झीलों का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ महाशीर एक मुख्य मछली के रूप में है,</p> <p>(12) "सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)" से पर्वतीय भाग के नदी या जलधाराओं का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो स्नो ट्राउट के लिए है तथा महाशीर के लिए मुख्य जलक्षेत्र नहीं है,</p> <p>(13) "मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग)" से मैदानी भाग के नदी, या जलधाराओं एवं तालाब का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ भारतीय मेजर कार्प प्रजाति की मछलियां मुख्य मछली के रूप में है;</p> <p>(14) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;</p> <p>(15) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।</p>
<p>व्यक्तिगत जलक्षेत्र से इतर जलक्षेत्रों की घोषणा</p>	<p>3.</p>	<p>(1) राज्य सरकार व्यक्तिगत जलक्षेत्र से इतर निम्नवत् जलक्षेत्रों की अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी, अर्थात्—</p> <p>(क) नदियों एवं जल धाराए।</p> <p>(ख) झीलों के जलक्षेत्र।</p> <p>(ग) जोहड़, पोखर एवं तालाब (मैदानी भाग) जलक्षेत्र।</p> <p>(घ) जलाशय जलक्षेत्र।</p> <p>(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भौगोलिक एवं मत्स्य प्रजाति की अनुकूलता एवं उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली सभी नदियों एवं जलधाराओं को निम्नवत् जलक्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी, अर्थात्—</p> <p>(क) नदियों एवं जल धाराओं के ट्राउट जलक्षेत्र।</p> <p>(ख) नदियों एवं जल धाराओं के महाशीर जलक्षेत्र।</p> <p>(ग) नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)।</p> <p>(घ) नदियों एवं जलधाराओं के मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग)।</p> <p>(3) ट्राउट जलक्षेत्र में हिमनदों से आपूर्त होने वाले तेज प्रवाह की छोटी शीतल जलधारायें जो ट्राउट प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त हैं, में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे, अर्थात्—</p> <p>(एक) पावर नदी, टौंस नदी एवं इसकी सहायक नदियां त्यूनी से ऊपर उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(दो) पिन्डर नदी एवं इसकी सहायक नदियां कर्णप्रयाग से ऊपर। नन्दाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियां नन्दप्रयाग से ऊपर। बालखिला नदी, बालखिला से ऊपर। बिरही नदी, बिरही से ऊपर एवं कल्पगंगा हेलग से ऊपर, जनपद चमोली के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p>

(3)

(तीन) मन्दाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियां अगस्त्यमुनी से ऊपर जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) अरसी गंगा नदी गंगोरी से डोडीताल तक तथा भागीरथी नदी एवं इसकी सहायक नदियां गंगोरी से ऊपर जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां कपकोट से ऊपर बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(छः) पूर्वी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां तेजम से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(सात) गौरी नदी इसकी सहायक नदियां मदकोट से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, और

(आठ) काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां धौली नदी सहित धारचूला से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र।

(4) महाशीर जलक्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत वाली मध्यम प्रवाह की छोटी जलधारायें जो महाशीर प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त हैं, में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे—

(एक) यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियां बड़कोट से डाकपत्थर एवं आसन बैराज तक एवं सौंग नदी देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(दो) गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां देवप्रयाग से हरिद्वार तक, पौड़ी, टिहरी एवं देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) नयार नदी एवं इसकी सहायक नदियां, खोह नदी जनपद पौड़ी के अन्तर्गत। पश्चिमी रामगंगा एवं इसकी सहायक नदियां, नाचनी से रामेश्वर के मध्य जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) पश्चिमी रामगंगा एवं इसकी सहायक नदियां, कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियां खैरना पुल तक अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) काली नदी इसकी सहायक नदियां टुली गाड से बूम तक पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(छः) लधिया नदी एवं इसकी सहायक नदियां, लोहावती नदी एवं इसकी सहायक नदियां तथा काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां चम्पावत जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, और

(4)

	<p>(सात) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां शोराघाट से पंचेश्वर के मध्य एवं गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियां बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र।</p> <p>(६) सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) में धीमे प्रवाह की बड़े-बड़े पाट वाली बड़ी नदियां सम्मिलित हैं, जो स्नोट्राउट प्रजाति की मछलियों हेतु अनुकूलित हैं, में निम्नलिखित जलक्षेत्र सम्मिलित होंगे-</p> <p>(एक) टोंस एवं इसकी सहायक नदियां त्यूनी से डाकपत्थर तक जनपद देहरादून के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(दो) भागीरथी नदी एवं इसकी सहायक नदियां गंगोरी से धरासू तक, जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी बांध से देवप्रयाग तक, जनपद टिहरी के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(तीन) भिलंगना नदी एवं इसकी सहायक नदियां पिलखी से ऊपर जनपद टिहरी के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(चार) यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियां बड़कोट से डामटा तक, जनपद उत्तरकाशी। डामटा से यमुना ब्रिज तक जनपद टिहरी एवं देहरादून तथा यमुना ब्रिज से नीचे जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(पांच) गंगा नदी देवप्रयाग से ऋषिकेश तक जनपद टिहरी एवं पौड़ी, ऋषिकेश से हरिद्वार तक जनपद देहरादून एवं पौड़ी तथा हरिद्वार से नीचे उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक, -</p> <p>(छः) अलकनन्दा नदी एवं इसकी सहायक नदियां देवप्रयाग से खांकरा तक जनपद टिहरी एवं पौड़ी, खांकरा से घोलतिर तक जनपद रुद्रप्रयाग तथा घोलतिर से ऊपर जनपद चमोली के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(सात) मन्दाकिनी नदी एवं उसकी सहायक नदियां रुद्रप्रयाग से अगस्थमुनी तक जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(आठ) सम्पूर्ण पश्चिमी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(नौ) कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियां खैरना पुल से ऊपर नैनीताल एवं अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(दस) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां कपकोट से सेराघाट तक अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p>
--	---

(5)

	<p>(ग्यारह) पूर्वी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां नाचनी से तेजम के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र,</p> <p>(बारह) काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां झूलाघाट से धारचूला के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र, और</p> <p>(तेरह) गौरी नदी एवं इसकी सहायक नदियां जौल जीवी से मदकोट के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र।</p> <p>(6) नदियों एवं जलधाराओं के मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग) में निम्नलिखित जलक्षेत्र सम्मिलित होंगे—</p> <p>(एक) जनपद हरिद्वार अन्तर्गत गंगा नदी एवं उसके ढाब तथा अन्य नदियां उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक, और</p> <p>(दो) जनपद उधमसिंह नगर अन्तर्गत शारदा नदी एवं अन्य नदियां राज्य की सीमा तक।</p> <p>टिप्पणी— उत्तराखण्ड की मुख्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विवरण परिशिष्ट—एक पर उल्लिखित है।</p>
झीलों के जलक्षेत्र	<p>4. (क) राज्य सरकार ऐसे जलक्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से मत्स्य सम्पदा उपलब्ध हो तथा जिनका क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर से अधिक तथा 1000 से 4000 मीटर ए.एस.एल. में स्थित हो, को निम्नवत् विभाजित कर सकेगी:—</p> <p>(एक) वे सभी ताल या प्राकृतिक जलक्षेत्र जो 1500 मीटर ए.एस.एल. से अधिक ऊंचाई में स्थित है तथा जिसमें ट्राउट मछली उपलब्ध है या भविष्य में ट्राउट प्रजाति की मछलियों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास किया जा सके।</p> <p>(दो) वे सभी ताल या प्राकृतिक जलक्षेत्र जो 1500 मीटर ए.एस.एल. से कम ऊंचाई में स्थित है तथा जिसमें महाशीर मछली उपलब्ध है या भविष्य में महाशीर प्रजाति की मछलियों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास किया जा सके।</p> <p>(तीन) वे सभी प्राकृतिक जलक्षेत्र या ताल जो 1000 मीटर ए.एस.एल. से कम ऊंचाई पर स्थित है और जिसमें मछली उपलब्ध है या उत्पादित की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी— उत्तराखण्ड के मुख्य ताल/झीलों का विवरण परिशिष्ट—दो में उल्लिखित है।</p> <p>(ख) (एक) मैदानी क्षेत्र के ऐसे जलक्षेत्र जहां मत्स्य सम्पदा हो और जिनका क्षेत्रफल 0.20 हैक्टेयर से अधिक है।</p>

(6)

		<p>(दो) ऐसे जलाशय जिसमें मछली उपलब्ध है या उत्पादित की जा सकती है, में नदी प्रणाली पर तैयार सभी कृत्रिम जलक्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनका विभिन्न कार्यों में उपयोग हो रहा है या भविष्य के लिए प्रस्तावित है।</p> <p>टिप्पणी- (एक) उत्तराखण्ड के मुख्य जलाशयों का विवरण परिशिष्ट-तीन पर उल्लिखित है।</p> <p>टिप्पणी- (दो) इस नियमावली के उपर्युक्त नियम 3(1) क, ख, ग एवं घ में उल्लिखित जलाशयों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वे समस्त जलाशयों जिनका ऊपर उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु वे व्यक्तिगत जलक्षेत्र नहीं हैं पर भी यह नियमावली लागू होगी।</p>
जलक्षेत्रों का नियतन और नोडल प्राधिकारी की नियुक्ति	5.	<p>राज्य सरकार नदी एवं जलधाराओं, झीलों, तालाबों, जलाशयों पर स्वामित्व का अधिकार वन विभाग, ग्राम पंचायत, ग्राम समाज, सिचाई विभाग तथा स्थानीय निकायों आदि में यथावत बनाये रखने हेतु आदेश जारी कर सकेगी,</p> <p>परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे जलक्षेत्रों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन, संरक्षण, मत्स्य विकास, प्रबन्धन, मत्स्य पालन एवं संग्रहण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु नोडल प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी। ऐसा प्राधिकारी इस नियामवली के संगत उपबन्धों के अधीन उक्त कार्यों का सम्पादन करेगा।</p>
मत्स्य आखेट हेतु जलाशयों के क्षेत्रफल का निर्धारण व मत्स्य आखेट की प्रक्रिया	6.	<p>(1) राज्य सरकार पर्वतीय भाग एवं मैदानी भाग की नदियां, जलाधाराएं झीलों एवं जलाशय आदि को मात्स्यिकी विकास एवं आखेट की दृष्टि से निम्नवत् विभाजित कर सकेगी :-</p> <p>(क) नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलें;</p> <p>(ख) नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) तथा सामान्य जलक्षेत्र झीले (पर्वतीय भाग);</p> <p>(ग) जोहड़, पोखर एवं तालब मैदानी भाग (जलक्षेत्र);</p> <p>(घ) जलाशय जलक्षेत्र;</p> <p>(ङ) राज्य के मैदानी भाग की नदियां।</p>

(7)

जा
क्षेत्र
या
रण
एवं
ण्ड
पर
हींर
ह
शके
इ
।
।

(2) (एक) राज्य सरकार नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र को आवश्यकतानुसार (एक) किलोमीटर से (पाँच) कि०मी० दूरी तक के बीट में तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलों को उनके आकार के आधार पर न्यूनतम 500 मीटर तक के बीट में आदेश द्वारा विभाजित कर सकेगी।

(दो) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों की सहमति से मत्स्य क्रीड़ा/आखेट हेतु स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत स्तर) पर पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ, महिला मंगलदल एवं युवक मंगलदल को नीलामी प्रक्रिया के द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा,

परन्तु यह कि न्याय पंचायत स्तर पर भी उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो ब्लाक स्तर की और ब्लाक स्तर पर भी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

(तीन) बीट आवंटन प्राप्त कार्यदायी संस्था द्वारा विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों तथा स्थानीय ग्रामीणों को ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करें, एग्लिंग परमिट निर्गत किया जायेगा।

(चार) उपनियम (2)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र में मत्स्य आखेट मात्र एग्लिंग रॉड के माध्यम से किया जा सकेगा।

(पांच) उपनियम (2)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र की बीटों की निविदा की शर्तें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(3)(एक) राज्य सरकार सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) को आवश्यकतानुसार (एक कि०मी०) से (पांच कि०मी०) की दूरी तक तथा सामान्य झीलों (पर्वतीय भाग) को उनके आकार के आधार पर न्यूनतम (पाँच सौ) मीटर तक के बीट में आदेश द्वारा विभाजित कर सकेगी।

(8)

(दो) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों की सहमति से मत्स्य क्रीडा/आखेट हेतु स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत स्तर) पर पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों, महिला मंगलदल एवं युवक मंगलदल को नीलामी प्रक्रिया के द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा,

परन्तु यह कि न्याय पंचायत स्तर पर भी उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो ब्लाक स्तर की और ब्लाक स्तर पर भी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

(तीन) बीट आवंटन प्राप्त कार्यदायी संस्था द्वारा विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों तथा स्थानीय ग्रामीणों को ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करें, एग्लिंग परमिट एवं मत्स्य आखेट परमिट निर्गत किया जायेगा।

(चार) उपनियम (3)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र में मत्स्य आखेट एग्लिंग (एग्लिंग रॉड के माध्यम से) के साथ-साथ 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से करने की अनुमति होगी।

(पांच) उपनियम (3)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र के बीटों की निविदा की शर्तें समय-समय पर राज्य द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(4)(एक) राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान ग्राम समाज के जोहड़, पोखर एवं तालाबों में मत्स्य पालन एवं शिकारमाही की प्रबंध व्यवस्था ग्राम पंचायतों के प्रचलित नियमों, अधिनियमों के अनुसार कर सकेगी।

(दो) स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले जोहड़, पोखर एवं तालाबों में मत्स्य पालन एवं शिकारमाही की प्रबंधन व्यवस्था स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों, अधिनियमों के अनुसार सम्पादित की जा सकेगी।

(5) राज्य सरकार समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में मैदानी भाग में विद्यमान जलाशयों/मत्स्य आखेट हेतु नियम 5 में उल्लिखित निकाय के नियंत्रणाधीन विद्यमान जलाशयों तथा पर्वतीय

		<p>एवं मैदानी भागों में स्थापित या स्थापित होने वाले समस्त मानव निर्मित जलाशयों (डैम एवं बैराज) में मत्स्य आखेट खुली निलामी द्वारा सम्पादित कर सकेगी।</p> <p>(6) (एक) राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान नदियों को आवश्यकतानुसार एक किमी० से तीन किमी० के बीट में विभाजित कर निलामी प्रक्रिया के द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित कर सकेगी और उच्चतम निविदा/बोली के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर सकेगी।</p> <p>(दो) उक्त जलक्षेत्र में समस्त मान्य विधियों द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति होगी।</p>
बीट आवंटन हेतु समिति का गठन	7.	<p>राज्य सरकार नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्रों, नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्रों (पर्वतीय भाग), ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलों तथा सामान्य झीलों (पर्वतीय भाग) में बीट आवंटन हेतु एक समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) बीट आवंटन करने वाले विभाग का विभागाध्यक्ष/निदेशक - अध्यक्ष</p> <p>(2) उक्त विभाग के संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तर का अधिकारी - सदस्य सचिव।</p> <p>(3) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य।</p> <p>(4) नियम 5 के अधीन उल्लिखित निकाय का प्रतिनिधि - सदस्य</p>
बीट आवंटन की प्रक्रिया	8.	<p>(1) जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा जलराशियों से सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर आवंटित किये जाने वाले बीटों का विवरण निदेशक मत्स्य के माध्यम से बीट आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी।</p> <p>(2) निविदा सम्बन्धी दिशा-निर्देश राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय सचिव (वह विभाग जो बीट आवंटन की कार्यवाही कर रहा हो) द्वारा मत्स्य विभाग की सहमति से (यदि मत्स्य विभाग बीट आवंटित न कर रहा हो) निर्धारित किए जाएंगे।</p> <p>(3) निविदा की अन्य प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी।</p> <p>(4) बीटों के ठेके की अवधि 5(पाँच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी।</p>

		<p>(5) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता इकाई द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र धरोहर की धनराशि तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त संस्था की पृष्ठ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा को नहीं खोला जायेगा और न ही निविदा पर विचार किया जायेगा।</p> <p>(6) नियम 7 में उपबन्धित समिति की संस्तुति के आधार पर जलराशियों के मात्स्यकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश एवं लाइसेंस राज्य सरकार के (सम्बन्धित विभाग) अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किये जायेंगे।</p> <p>(7) कार्यदायी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्बन्धित जलराशि में मात्स्यकी प्रबंधन, मत्स्य आखेट एवं मत्स्य निकासी के ठेके हेतु लाइसेंस निर्धारित प्ररूप (संलग्नक परिशिष्ट चार के अनुसार) पर निर्गत किया जाएगा।</p>
बीट आवंटन का अधिकार	9.	<p>राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान नदियों में बीट आवंटन हेतु निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) निदेशक मत्स्य से निम्न स्तर के विभागीय अधिकारी यथा संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक मत्स्य- सदस्य सचिव।</p> <p>(2) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/उनके प्रतिनिधि - सदस्य।</p> <p>(3) अन्य सम्बन्धित विभाग यथा सिंचाई, वन, राजस्व, पंचायत, नगर पालिका आदि स्वयतशासी संस्था के प्रतिनिधि - सदस्य</p>
मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन एवं बीट आवंटन की प्रक्रिया	10.	<p>(1) मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन निविदा पद्धति से किया जायेगा।</p> <p>(2) जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा जलराशियों से सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर आवंटित किये जाने वाले बीटों का विवरण निदेशक मत्स्य के माध्यम से बीट आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी।</p> <p>(3) निविदा सम्बन्धी दिशा-निर्देश राज्य सरकार के विभागीय सचिव द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।</p> <p>(4) निविदा की अन्य प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी।</p>

(11)

की
धेत
माण
ाना
धेत
वेदा

गायों
बंधी
गाग)
केये

यकी
सेस
केया

हेतु
तसमें

युक्त

नगर

किया

स्थित
का
प्रस्तुत

द्वारा

2008

		<p>(5) बीटों के ठेके की अवधि 5(पांच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी।</p> <p>(6) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र धरोहर की धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को छोड़कर यदि वह निविदा में भाग लेता है) एवं हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा, ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।</p> <p>(7) नियम 7 में उपबन्धित समिति की संस्तुति के आधार पर जलराशियों के मात्स्यकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश एवं लाइसेंस राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त निदेशक मत्स्य द्वारा निर्गत किये जायेंगे।</p> <p>(8) कार्यदायी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्बन्धित जलराशि में मात्स्यकी प्रबंधन, मत्स्य आखेट एवं मत्स्य निकासी के ठेके हेतु लाइसेंस निर्धारित प्ररूप (संलग्नक परिशिष्ट चार के अनुसार) पर निर्गत किया जाएगा।</p>
मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन हेतु निविदा की न्यूनतम शर्तें	11.	<p>(1) मैदानी क्षेत्र की नदियों के ठेके की अवधि पांच वर्ष होगी और इसकी गणना आगामी 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष में यह अवधि स्वीकृति की तारीख से प्रारम्भ एवं 30 जून को समाप्त समझी जायेगी। स्वीकृत निविदा मूल्य में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि आगणित की जायेगी और तदनुसार निविदादाता द्वारा संदेय होगी।</p> <p>(2) उच्चतम बोली/निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता/समिति को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(3) निविदादाता समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1899 के उपबन्धों के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी संदत करेगा। अनुबन्ध पत्र निविदादाता और राज्यपाल की ओर से निदेशक, मत्स्य के मध्य निष्पादित किया जायेगा। निष्पादित अनुबन्ध राज्यपाल की ओर से निदेशक मत्स्य की अभिरक्षा में रखा जायेगा।</p>

	<p>(4) निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना आवश्यक होगा तथा सफल निविदादाता को कुल निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत उसी दिन तत्काल जमा करना होगा। उक्त धनराशि जमा न कर पाने की दशा में अग्रिम की धनराशि जब्त समझी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा पाँच वर्षों की कुल निविदा धनराशि की 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि निदेशक, मत्स्य के पक्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर निदेशक मत्स्य देहरादून के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा और अन्यथा की स्थिति में निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक मत्स्य में निहित होगा।</p> <p>(5) पूर्वोक्त नियम के अधीन निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात् शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किस्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त तक अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में निर्धारित समय सारणी के अनुसार निविदादाता को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई (1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।</p>
<p>एंग्लिंग तथा 2 इंच या उससे बड़े आकार के जाल द्वारा मत्स्य कीड़ा/ आखेट के संबंध में दिशा-निर्देश</p>	<p>12. (1) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा परमिट निर्दिष्ट (संलग्न, प्ररिशिष्ट पाँच के अधीन) प्ररूप पर जारी किया जायेगा।</p> <p>(2) जारी किये जाने वाला परमिट अपरिवर्तनीय/अहस्तान्तरणीय होगा।</p> <p>(3) उक्तवत् जारी किये जाने वाले एंग्लिंग परमिट की वैधता एक दिन के लिए होगी।</p> <p>(4) उक्तवत् परमिट में एंग्लिंग के द्वारा मत्स्य कीड़ा/आखेट की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही अनुमन्य होगी।</p> <p>(5) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा एंग्लिंग/मत्स्य आखेट से पकड़ी गयी मछलियों की संख्या एवं जारी किये गये एंग्लिंग/मत्स्य आखेट परमिट से प्राप्त आय का विवरण प्रत्येक दिवस के लिए अलग-अलग अनुरक्षित करना होगा।</p> <p>(6) (एक) यदि एंग्लिंग द्वारा अथवा 2 इंच या उससे बड़े फन्दे के आकार के जाल से मत्स्य कीड़ा/मत्स्य आखेट हेतु बीट आवंटन मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है तो ऐसी दशा में बीट शुल्क</p>

9

(13)

ना
श
त
व
र्षों
क
क
मा
को
।
मा
न
के
म
देय
क,
शि
क
।
के
मति
गयी
खेट
लग
कार
त्स्य
जुल्क

से अर्जित आय का 80 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में तथा 20 प्रतिशत भाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में जलराशि की रायल्टी के रूप में जमा करना होगा।

(दो) यदि बीट सम्बन्धित जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो ऐसी दशा में बीट शुल्क से अर्जित आय का 80 प्रतिशत भाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में जमा होगा तथा 20 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में मत्स्य बीज मूल्य रूप में जमा करना होगा।

(तीन) यदि पर्यटन विभाग द्वारा बीट आवंटित किया जाता है तो बीट शुल्क से अर्जित आय का 20 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक मत्स्य बीज मूल्य के रूप में जमा होगा और शेष 80 प्रतिशत भाग का बटवारा पर्यटन विभाग एवं जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग में उस अनुपात में किया जाएगा जो पर्यटन विभाग एवं जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग में आपसी सहमति से निर्धारित किया गया हो। तदनुसार उक्त धनराशि भी सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्षक में जमा करना होगा।

(7) प्रत्येक लाईसेन्स धारक/परमिट धारक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में अधिकृत व्यक्ति की मांग पर लाईसेन्स/परमिट दिखाना आवश्यक होगा। आवंटित कार्यक्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी रीति से मत्स्य आखेट करने पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा।

(8) अधिनियम और तदधीन बनाये गये किन्ही उपबन्धों या उनके किसी भाग के उल्लंघन करने पर परमिट/लाइसेंस धारक का परमिट/लाइसेंस को बीट आवंटन करने वाले विभाग/अधिकारी अथवा मत्स्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी निरस्त करने की शक्ति होगी।

(9) परमिट/लाइसेंस धारक द्वारा एक दिन में चार से अधिक ट्राउट/महाशीर मछली का आखेट करना/पकड़ना प्रतिबन्धित होगा।

		<p>(10) एंग्लर्स एवं उनके सहयोगियों से पूर्ण शान्ति बनाये रखने, न्यूनतम गतिविधि तथा पर्यावरण में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p>(11) वन विभाग के नियंत्रणाधीन जलराशियों में एंग्लिंग के दौरान किसी एंग्लर/एंग्लर्स द्वारा राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने पर नियत निकाय ऐसी एंग्लिंग पर तत्काल रोक/निरस्त कर सकेगा किन्तु यदि एंग्लिंग हेतु बीट आवंटन मत्स्य विभाग अथवा वन विभाग के इतर किसी अन्य विभाग द्वारा आवंटित किया गया है तो ऐसी दशा में ऐसे लाईसेंस के निरस्त करने की संस्तुति मत्स्य विभाग एवं सम्बन्धित विभाग जिसके द्वारा बीट आवंटन का लाईसेंस जारी किया गया है, को अग्रेषित करेगा। बीट आवंटन लाईसेंस को तदनुसार संस्तुति पर निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>(12) उपनियम 11 में उल्लिखित समस्त जलराशियों में इस नियमावली के परिशिष्ट -6(1) व परिशिष्ट-6(2) में अंकित अवधि में प्रजनन काल अवधि में मत्स्य आखेट पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा,</p> <p>परन्तु यह कि राज्य में मत्स्य आखेट/क्रीड़ा से सम्बन्धित स्थानीय मेलों जैसे-जिला टिहरी/देहरादून/उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले मौण मेला आदि मेलों में स्थानीय लोगों के हकहकूकों के दृष्टिगत मेला अवधि में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली जलराशि को प्रतिबन्धित क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा;</p> <p>परन्तु यह और कि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के अध्यधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके परंपरागत तरीकों से अपने स्वयं के उपयोग के लिए मत्स्य आखेट की छूट अनुमन्य होगी।</p>
<p>जलराशियों में निविदाओं के माध्यम से संस्थाओं द्वारा मत्स्य आखेट के संबंध में दिशा निर्देश</p>	<p>13.</p>	<p>(1) किसी भी जलक्षेत्र में किसी भी विधि द्वारा किसी भी समय मत्स्य संसाधनों के शोध एवं अन्वेषण कार्य हेतु प्रायोगिक शिकारमाही का अधिकार निदेशक मत्स्य या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को होगा।</p> <p>(2) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्हीं उपबन्धों या उनके किसी भाग के उल्लंघन करने पर संस्था या व्यक्ति को जारी लाईसेंस एवं ठेके को निरस्त करने का अधिकार निदेशक मत्स्य के पास निहित होगा।</p>

तम
की
हसी
धीन
ऐसी
लिंग
केसी
ऐसे
न्धित
॥ है,
स्तुति
नी के
काल
न्धित
में
गों के
न्तर्गत
। वन
घों के
घों को
मत्स्य
मत्स्य
ही का
धिकारी
किसी
लाईसेंस
के पास

	<p>(3) प्रत्येक लाईसेन्स धारक/परमिट धारक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में अधिकृत व्यक्ति की मांग पर लाईसेन्स/परमिट दिखाना आवश्यक होगा।</p> <p>(4) बीट वार आवंटित जलक्षेत्र को नीलामी व्यवस्था के आधार पर मत्स्य आखेट हेतु दिया जायेगा।</p> <p>(5) बीट वार कार्यक्षेत्र की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि का निर्धारण निदेशक मत्स्य द्वारा राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा।</p> <p>(6) मत्स्य आखेट अन्तर्गत 400 ग्रा० महाशीर एवं 250 ग्रा० अन्य प्रजाति की मछली से कम वजन की मछली पकड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।</p> <p>(7) महाशीर जलक्षेत्र के संगम से सामान्य जलक्षेत्र के एक किलो मीटर बहाव की ओर एवं एक किलो मीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाल आदि से मत्स्य आखेट का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।</p> <p>(8) संस्था को मत्स्य आखेट हेतु न्यूनतम 2.0 इन्च फन्दे का जाल प्रयोग लाने की अनुमति होगी।</p> <p>(9) यदि संस्था द्वारा निर्धारित न्यूनतम माप से छोटे फन्दे वाले जाल का प्रयोग किया जाता है तो उस संस्था का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनके विरुद्ध विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।</p> <p>(10) आवंटित कार्यक्षेत्र में मत्स्य आखेट हेतु निर्धारित शर्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(11) वन विभाग के नियंत्रणाधीन जलराशियों में मत्स्य आखेट के दौरान राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी मत्स्य आखेट पर तत्काल रोक लगा सकेगा तथा संस्था/व्यक्ति को जारी ठेके के लाईसेन्स को निरस्त करने की संस्तुति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निदेशक, मत्स्य को अग्रेषित की जा सकेगी।</p>
मत्स्य संवर्द्धन	<p>14. (1) नियम 5 के अधीन नियत निकाय मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य संवर्द्धन हेतु निम्नलिखित कदम उठायेगा—</p> <p>(क) नदी एवं जलधाराओं/ झील/ तालाब/जलाशयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार मत्स्य बीज का संचय,</p> <p>(ख) विभागीय स्वामित्व की हैचरियों में प्रचुर मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन कर, उनके अनुकूलित जलराशि में मत्स्य बीज को संचित करना,</p>

(16)

	<p>(ग) वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी के जल स्तर घटने पर उनके छुड़ानों में फेंसी हुई छोटी मछलियों को पकड़ कर मुख्य जलधाराओं में संचित करना,</p> <p>(घ) अविरल प्रवाहित नदियों पर बाँधों के निर्माण के उपरान्त प्रभावित जलक्षेत्र का जल जैविक सन्तुलन के पुनर्स्थापना हेतु उनमें आवश्यकतानुसार मत्स्य बीज का संचय।</p> <p>(2) आवंटित बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य सम्पदा के संवर्धन एवं संरक्षण का दायित्व ऐसी संस्था का होगा जिसे उक्त बीट आवंटित होगा तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की नदियों एवं झीलों/तालों, सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) की नदियों एवं झीलों/तालों में मत्स्य सम्पदा के संवर्धन एवं संरक्षण का दायित्व मत्स्य विभाग के सहयोग से जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग एवं उक्त क्षेत्र में एंग्लिंग/मत्स्य आखेट का परमिट जारी करने वाले विभाग का होगा।</p> <p>(3) व्यक्तियों/संस्थाओं को आवंटित बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य बीज संचय हेतु मत्स्य अंगुलिकाओं को विभागीय स्वामित्व वाली हैचरियों से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>(4) बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य बीज की प्रजाति तथा मात्रा के निर्धारण का अधिकार निदेशक, मत्स्य का होगा।</p>
<p>मत्स्य संरक्षण एवं मत्स्य आखेट संबंधी प्रतिबन्धों सम्बन्धी-दिशा-निर्देश</p>	<p>15. अधिनियम के प्राविधानों के अध्याधीन मत्स्य संरक्षण हेतु निम्नवत् प्रतिबन्धों का नियत निकाय द्वारा अनुपालन किया जायेगा-</p> <p>(1) मत्स्य सम्पदा वाली जल राशियों में डाइनामाइटिंग, विषैले रसायन एवं पादप, विद्युत प्रवाह, आदि विनाशकारी प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा किन्तु जैव विविधता एवं पर्यावरण के दृष्टिगत जल धाराओं के प्रवाह में उसी सीमा तक परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी, जिससे प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।</p> <p>(2) बड़ी मछलियों के साथ-साथ उनके असंख्य अण्डे एवं छोटे बच्चों को नष्ट होने से बचाने के लिए मत्स्य आखेट की अवैधानिक विधियां पूर्ण रूप से निषिद्ध होंगी।</p> <p>(3) राज्य सरकार समय-समय पर नदी एवं जल धाराओं के जल जैविक संतुलन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने हेतु अवैधानिक मत्स्य आखेट की अमान्य विधियों को निषिद्ध करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी कर सकेगी।</p>

(17)

डुडानों
ओं मेंभावित
उनमें

संरक्षण

। होगा

/ तालों,

तालों में

भाग के

क्षेत्र में

भाग का

स्य बीज

हैचरियों

मात्रा के

प्रतिबन्धों

। रसायन

पर पूर्ण

गत जल

ते दी जा

गेटे बच्चों

अवैधानिक

के जल

प्राप्त करने

को निषिद्ध

(4) मत्स्य विभाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार के माध्यम से नदियों एवं जलधाराओं में ट्राउट एवं महाशीर जैसी महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को जनमानस तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगा।

(5) एंग्लिंग एवं अन्य निर्धारित विधियों से मत्स्य आखेट के अन्तर्गत निम्नांकित वजन से कम वजन की कोई भी मछली पकड़ना निषिद्ध होगा :-

(1) रैनवो ट्राउट	300 ग्राम से कम वजन की
(2) ब्राउन ट्राउट	300 ग्राम " " " "
(3) स्नो ट्राउट	250 ग्राम " " " "
(4) कामन कार्प	300 ग्राम " " " "
(5) महाशीर	400 ग्राम " " " "
(6) कतला	500 ग्राम " " " "
(7) रोहू	500 ग्राम " " " "
(8) नैन	400 ग्राम " " " "
(9) सिल्वर कार्प	500 ग्राम " " " "
(10) ग्रास कार्प	500 ग्राम " " " "
(11) कनिया	300 ग्राम " " " "

टिप्पणी- उपरोक्त उल्लिखित मत्स्य प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य मत्स्य प्रजातियों की मैदानी क्षेत्रों में 500 ग्राम से कम वजन की मछली तथा पर्वतीय भाग में 250 ग्राम से कम वजन की मछली को पकड़ना, भारना अथवा बेचना प्रतिबंधित होगा।

(6) एंग्लिंग एवं अन्य निर्धारित विधियों से मत्स्य आखेट अन्तर्गत निर्दिष्ट वजन से कम वजन की पकड़ी गयी मछली को सम्बन्धित द्वारा वापस उसी जलराशि में छोड़ना होगा।

(7) राज्य में विद्यमान ताल, नदियों और जलधाराओं में मछली के मुख्य प्रजनन स्थलों से रेत, बजरी, पत्थर या अन्य तलछट सामग्री निकालने की अनुमति देते समय सम्बन्धित विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उक्त स्थलों पर मत्स्य प्रजनन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(8) मछलियों के प्रजनन काल अन्तर्गत आवंटित कार्य क्षेत्र में एंग्लिंग द्वारा एवं अन्य विधियों द्वारा मत्स्य क्रीडा/मत्स्य आखेट का कार्य

(18)

		<p>नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर पूर्ण रूप से बन्द रहेगा।</p> <p>(9) किसी नियम के उल्लंघन की जानकारी कार्यदायी संस्था को होने पर उसकी बाध्यता होगी कि वह इसकी सूचना निदेशक मत्स्य या कोई मत्स्य पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी को दें।</p> <p>(10) मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु आवंटित कार्यक्षेत्र में वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी का जल स्तर घटने पर उसके छुड़ानों में फसी हुई छोटी मछलियों को कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़ कर मुख्य जलधारा में संचित करना होगा।</p> <p>(11) वर्षा ऋतु के दौरान जब मुख्य नदी का जल स्तर बढ़ कर उसका पानी गन्दा हो जाता है तो ऐसे समय में मछलियां मुख्य जलधारा को छोड़ कर साफ पानी वाली छोटी जलधाराओं में चली जाती हैं, इस अवधि में इस प्रकार की जलधाराओं के आस पास किसी भी प्रकार का मत्स्य आखेट नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित होगा।</p> <p>(12) ट्राउट जलक्षेत्र में 01 नवम्बर से 28 फरवरी तक तथा महाशीर जलक्षेत्र में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रजनन काल अवधि में मत्स्य क्रीडा/मत्स्य आखेट पूर्ण रूप से नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित रहेगा।</p> <p>टिप्पणी— मत्स्य शिकारमाही के जलक्षेत्र, शिकारमाही की विधि, परिमित/लाईसेंस परमित/लाईसेंस शुल्क, निषेध अवधि, निषिद्ध क्षेत्र का विवरण संलग्न परिशिष्ट-06 पर उल्लिखित है।</p>
अमान्य विधियों द्वारा मत्स्य आखेट निषिद्ध	16.	<p>परिशिष्ट में अनुज्ञापित विधियों के अतिरिक्त डाइनामाइटिंग, विषैले रसायनों एवं पादपों, विद्युत प्रवाह, बन्दूक, भाला, तीर कमान या तत्समान यन्त्रों या कारखानों आदि के दूषित/गन्दे पानी से मत्स्य विनाश या मछली नष्ट करने के प्रयास तथा कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलराशि को गंदा करना, निषिद्ध होगा।</p>
निषिद्ध विधियों द्वारा आखेट हेतु दण्ड का प्राविधान	17.	<p>अधिनियम तथा इस नियमावली के प्राविधानों में उल्लिखित निषिद्ध विधियों द्वारा मत्स्य आखेट पर उक्त अधिनियम की धारा 5 से धारा 10 तक के उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 9 में निहित शक्ति के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत पद धारकों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-07 पर उल्लिखित है।</p>

(19)

प से
होने
प्र या
तु के
हुई
गधारा
सका
गधारा
नी है,
नी भी
रन्तुक
शरीर
अवधि
2 के
विधि,
निषिद्ध
विषैले
समान
श या
नी से
वेधियों
क के
उक्त
न हेतु
है।

मछली का व्यापार, इसका यातायात या किसी क्षेत्र से निर्यात	18.	(1) समय-समय पर निदेशक मत्स्य इस भाग से सम्बन्धित सम्यक रीति निर्धारित कर सकेगा। (2) मछली के व्यापार/विक्रय केन्द्र के निर्धारित स्थल एवं इनके यातायात से सम्बन्धित सुविधायें प्राप्त करने हेतु मछली विक्रेता/व्यापारियों के द्वारा ऐसे स्थानीय निकायों से भी सहमति/अनापत्ति यथा रीति प्राप्त करनी होगी।
मछली पकड़ने के उपकरण, मछली एवं मछलियों की पेटी/थैला को जब करना/ हटाना	19.	(1) परिशिष्ट-सात में उल्लिखित पदधारक नियमों के विरुद्ध मछली पकड़ने के लिए स्थापित या उपयोग में लाये गये उपकरण को छीन अथवा हटा अथवा जब्त करने की शक्ति होगी। (2) परिशिष्ट-सात में उल्लिखित पदधारक किसी उपकरण द्वारा पकड़ी हुई सभी मछली तथा पेटी/थैली को जब्त करने की भी शक्ति होगी। (3) परिशिष्ट-सात में उल्लिखित पदधारक पूर्वोक्त उपनियमों के उल्लंघन में ऐसे अपराध के लिए सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन अपेक्षित कार्यवाही कर सकेगा। (4) उपनियम (2) में जब्त की गई मछली यदि जीवित है तो उसे तत्समय ही उसी स्थान पर जलराशि में परिशिष्ट-सात में उल्लिखित पदधारक द्वारा डाल दिया जायेगा और यदि मछली मृत है तो सन्नीकट के तोल केन्द्र में तुलवाकर उसे प्रचलित दरों पर बेचकर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
तिलोपिया, बिगहैड, थाई मॉंगुर आदि प्रतिबंधित मत्स्य प्रजातियों के मत्स्य बीज का जलराशि में संचय पर रोक	20.	किसी व्यक्ति को तालाब, पोखर, झील, जलाशय, नदी एवं जलधाराओं में टिलोपिया प्रजाति, बिग हैड और विदेशी थाई मॉंगुर का मत्स्य बीज संचय करने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा।
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-2 भाग-2 (क) में विनिर्दिष्ट मछलियों का आखेट निषिद्ध होगा	21.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 की अनुसूची-2 भाग-2 (क) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित मछलियों का आखेट निषिद्ध होगा:- (1) तिमि ग्राह (राइनोकोडोन टायपस) (2) ग्राह व पृथिका (एक) एनोक्सीप्रिस्टिस कुस्पिडेटा (दो) काचीरहाइनस हेमियोडोन (तीन) ग्लीफियस गैजेटिकस

(20)

		<p>(चार) ग्लोफिसय ग्लोफियस</p> <p>(पाँच) हिमानटूरा फ्लुसिए-टार्यालस</p> <p>(छः) प्रिस्टिस माइकोडोन</p> <p>(सात) प्रिस्टिस जिनस्ट्रोन</p> <p>(आठ) रिहनकोबेटस दियेददेन्सिटा</p> <p>(नौ) युरोजिम्नस एस्पराइगस</p> <p>(3) ग्राह व पृथिका (सभी इलैस्मोब्रांची आई) अश्वमीन (सभी सिग्नैथीडियन)</p> <p>(4) भीम ग्रुपरमीन (एपिनसेफेलस लैसियोलेटस)</p>
निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा में मछली पकड़ने के उपकरणों और यन्त्रों को अधिकार में रखना	22.	कोई भी व्यक्ति बिना वैध परमिट/लाईसेन्स के निर्दिष्ट जल क्षेत्र जो निजी नहीं है, की 3 कि.मी. परिधि के अन्तर्गत मछली पकड़ने के उपकरणों और यन्त्रों को अपने अधिकार में नहीं रखेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधारको को ऐसे उपकरण और यन्त्रों को जब्त करने तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति होगी।
अपील का अधिकार	23.	यदि व्यथित पक्ष (एंग्लिंग/मत्स्य आखेट परमिट धारक अथवा संस्था/व्यक्ति जिसे मत्स्य आखेट का लाईसेंस/ठेका दिया गया है) को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गयी हो तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य सरकार के समक्ष निम्नतर अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध उसके जारी किये जाने के-दिनांक से अधिकतम एक माह के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। प्रश्नगत विषय में राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
कठिनाई निवारण की शक्ति	24.	यदि इस नियमावली के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों के असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

उत्तराखण्ड की मुख्य नदियां एवं सहायक नदियां,

परिशिष्ट-एक

क्र०	जनपद का नाम	उत्तराखण्ड में नदी / सहायक नदी का नाम	उत्तराखण्ड में नदी की लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3	4
1.	दहरादून	यमुना टौस	50
2.	उत्तरकाशी	सौंग अस्सीगंगा यमुना भागीरथी टौस	45 25 34 50 140
3.	चमौली	रामगंगा(प०) पिण्डर अलकनन्दा विष्णु गंगा विरही गंगा गरुड गंगा बालखिला अमृत गंगा नन्दाकिनी निगोल उपला अनन्तगाड	20 20 93 150 150 50 15 15 05 40 15 15
4.	रूद्रप्रयाग	मन्दाकिनी काली नदी मदमहेश्वर कल्पगंगा काकडा	20 100 10 25 15
5.	टिहरी	भागीरथी भिलगंगा	15 80
6.	पौड़ी गढ़वाल	रामगंगा (प०) अलकनन्दा नयार पूर्वी नयार (प०) गंगा नदी नयार नदी कोठारी नदी पलान नदी खोह नदी मालिन नदी रेवासन नदी मिनायता नदी नल नदी हियाल नदी सोन नदी गंगा नदी सौंग सुवा	50 37 50 60 50 48 18 21 21 12 12 15 12 18 27 12 20 05 12
7.	हरिद्वार		

न (सभी

क्षेत्र जो
कड़ने के
य सरकार
व्यक्त करनेअथवा
ग हैं) को
गयी हो
गरी द्वारा
नांक से
प्रश्नगत
बाध्यकारीकठिनाई
यम तथा
दूर कर

(22)

8.	कुमायूँ नैनीताल	कोसी गौला नंधौर मधाली गला	60 50 30 20
9.	अल्मोड़ा	कोसी रामगंगा (पं०) सुयाल गगास विनोद पनार	58 77 41 38 20 26
10.	भारखर	सरयू लाहुर गोमती फनगाड़ गरुड़ गंगा	57 10 40 20 10
11.	पिथौरागढ़	रामगंगा (पूर्वी) सरयू काली गौरी धौली चरमागाड़ दुली गाड़	92 60 190 90 80 14 18
12.	चम्पावत	काली लोहावाली लधिया	20 40 50
13.	ऊधमसिंह नगर	शारदा कैलाश	10 10

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मुख्य प्राकृतिक झील/ताल

परिशिष्ट-दो

क्र०सं	जनपद	झील का नाम	क्षेत्रफल है० में	समुद्र स्थल से ऊँचाई	स्वामित्व	अन्य विवरण
1.	उत्तरकाशी	डयोडी ताल	3.5	3352	वन विभाग	
		नचिकेताताल	2.00	2330	वन विभाग	
		वारसूताल	1.00	1800	ग्राम पंचायत	
		स्याबाताल	0.5	1800	ग्राम पंचायत	
		जखोलताल	1.00	1800	ग्राम पंचायत	
2.	चमोली गढ़वाल	ब्रह्मताल	0.8	2230	वन विभाग	
		झलताल	2.00	3000	वन विभाग	
		भीकलताल	1.00	2780	वन विभाग	
		सूखाताल	1.00	3000	वन विभाग	
		देवताल	2.00	2780	वन विभाग	
		लोकताल	2.00	2780	वन विभाग	
3.	रूद्रप्रयाग	वासुकी ताल	4.60	4480	वन विभाग	
		त्रिजुगीनारायण	0.40	2230	वन विभाग	
		धिगारीताल	0.40	3900	वन विभाग	
		देवरिया ताल	2.00	2230	वन विभाग	
4.	टिहरी गढ़वाल	मासरताल	0.85	3000	वन विभाग	
		मारीनताल	1.25	3000	वन विभाग	
		जरालताल	0.40	2000	वन विभाग	
		चण्डयार ताल	0.75	2800	वन विभाग	
		बधानीताल	0.40	2000	वन विभाग	
		नेखरी ताल	0.30	1700	वन विभाग	
5.	चम्पावत	श्यामलाताल	3.8	1260	ग्राम पंचायत	
6.	नैनीताल	भीमताल	84.24	1350	सिचॉई विभाग	
		नौकुचियाताल	24.5	1348	सिचॉई विभाग	
		सातताल	24.5	1220	सिचॉई विभाग	
		नैनीताल	73.6	1600	नगर पालिका	
		खुर्पाताल	8.00	1520	वन विभाग	
		गरुड़ताल	4.5	1230	सात ताल स्टेट	
		लोहाखामताल	3.00	1061	राजस्व विभाग	
		हरीशताल	4.00	1061	राजस्व विभाग	
		नलदमयन्तीताल	0.20	1365	राजस्व विभाग	

परिशिष्ट- तीन

उत्तराखण्ड के प्रमुख जलाशय/डैम

क्र०सं०	जनपद का नाम	जलाशय का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	स्वामित्व
1-	ऊधम सिंह नगर	नानक सागर	4089.00	सिंचाई विभाग
2-	ऊधम सिंह नगर	बैगुल	2995.00	सिंचाई विभाग
3-	ऊधम सिंह नगर	तुमरिया	2377.00	सिंचाई विभाग
4-	ऊधम सिंह नगर	धौरा	1295.00	सिंचाई विभाग
5-	ऊधम सिंह नगर	बौर	1295.00	सिंचाई विभाग
6-	ऊधम सिंह नगर	हरिपुरा	1144.00	सिंचाई विभाग
7-	ऊधम सिंह नगर	शारदा सागर (आंशिक)	6880.00	सिंचाई विभाग
8-	देहरादून	आसन वैराज	444.44	जल विद्युत निगम (UJVNL)/वन विभाग
9-	टिहरी	टिहरी डैम	4200.00	टी०एच०डी०सी०
10-	उत्तरकाशी	मनेरी डैम	2.00	जल विद्युत निगम (UJVNL)
11-	हरिद्वार	पुरानी गंग नहर	32.00	सिंचाई विभाग

परिशिष्ट-चार

संस्थाओं/व्यक्तियों को मत्स्य आखेट के ठेके हेतु लाईसेंस का प्रारूप
(नियम 7 (7) व नियम 9(8) के अनुसार)

बुक संख्या फार्म न०.....

लाईसेन्स न०.....

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानानुसार लाईसेन्स धारक को
जलक्षेत्र के भाग में (बीट का नाम/संख्या).....में दिनांक.....से
तक के लिये मत्स्य आखेट का अधिकार प्रदान किया जाता है ।

व्यक्ति/संस्था का नाम एवं पता.....
.....
.....

जमा शुल्क या बिल के द्वारा शुल्क समायोजन रू०.....

प्राप्ति की तिथि

लाईसेंस निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर

(25)

परिशिष्ट-पॉंच (1)

पृष्ठ- तीन

एंग्लिंग/02 इंच या उससे बड़े आकार के जाल द्वारा मत्स्य आखेट हेतु परमिट का प्रारूप
(नियम 11 (1) के अनुसार)

बुक संख्या फार्म न०.....

परमिट न०.....

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानानुसार परमिट धारक को
जलक्षेत्र के भाग (बीट का नाम/संख्या)में दिनांक.....के लिये
एंग्लिंग/2 इंच या उससे बड़े आकार के फन्दे वाले जाल द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति प्रदान की जाती
है ।

व्यक्ति का नाम एवं पता.....

जमा शुल्क या बिल के द्वारा शुल्क समायोजन रु०.....

प्राप्ति की तिथि

परमिट निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-पॉंच (2)

एंग्लिंग एवं दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट की अनुमति सम्बन्धी
परमिट धारक हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं शर्तें परमिट के पृष्ठ भाग पर छपा हो-

1. परमिट उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 के प्राविधानों की शक्तियों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
2. परमिट अहस्तान्तरणीय/अपरिवर्तनीय होगा।
3. परमिट धारक एंग्लिंग एवं दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट की अनुमति सम्बन्धी परमिट जारी करने वाली संस्था/विभाग के अधिकारी द्वारा जिस स्थान के लिए जारी किया गया है उसे परमिट धारक परिवर्तित नहीं करेगा जब तक कि परमिट जारी करने वाली संस्था द्वारा अनुमति न दी जाय।
4. परमिट जारी करने वाली संस्था/विभाग के अधिकारी ऐसा परमिट जारी करने/उक्त परमिट का पुनर्नवीनीकरण करने को अस्वीकार कर सकती है। यदि उसका यह समाधान हो जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा परमिट निर्गत करना/नवीनीकरण करना जनहित में उचित नहीं है।
5. परमिट धारक की बाध्यता होगी कि उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उसके द्वारा परमिट दिखाया जाय।
6. सामान्य जल क्षेत्र पर्वतीय भाग एवं सामान्य झीलें पर्वतीय भाग जहां एंग्लिंग के साथ दो इंच या इससे बड़े फन्दे के जाल द्वारा भी मत्स्य आखेट की अनुमति होगी को छोड़कर पर्वतीय भाग की अन्य जलराशियों में (मानव निर्मित जलराशियों को छोड़कर) आवंटित कार्यक्षेत्र में एंग्लिंग के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नहीं होगी।

वेभाग

को

(26)

7. सूर्योदय से सूर्यास्त तक एंग्लिंग के द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति होगी।
8. परमिट धारक निम्नलिखित सारणी में प्रजातिवार उल्लिखित मछलियों के सम्मुख अंकित वजन से कम वजन की कोई मछली नहीं पकड़ेगा या मारेगा या बेचेगा :-

1-	रैनवो ट्राउट	:	300 ग्राम से कम वजन की
2-	ब्राउन ट्राउट	:	300 " " " "
3-	स्नो ट्राउट	:	250 " " " "
4-	कामन कार्प	:	300 " " " "
5-	महाशीर	:	400 " " " "
6-	कतला	:	500 " " " "
7-	रोहू	:	500 " " " "
8-	नैन	:	400 " " " "
9-	सिल्वर कार्प	:	500 " " " "
10-	ग्रास कार्प	:	500 " " " "
11-	कनिया	:	300 " " " "

टिप्पणी- उपरोक्त उल्लिखित मत्स्य प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य मत्स्य प्रजातियों की मैदानी क्षेत्रों में 500 ग्राम से कम वजन की मछली तथा पर्वतीय भाग में 250 ग्राम से कम वजन की मछली को पकड़ना, मारना अथवा बेचना प्रतिबंधित है।

9. परमिट धारक द्वारा उपरोक्त अंकित वजन से कम वजन की मछली पकड़ने पर उसे वापस जलराशि में छोड़ना होगा।
10. परमिट धारक को परमिट की समय अवधि पूर्ण होने अथवा एंग्लिंग/दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट कार्य समाप्त करने के उपरान्त निम्नांकित प्रारूप पर परमिट निर्गतकर्ता को सूचना उपलब्ध करनी होगी:-

परिशिष्ट-पॉंच (3)

परिशिष्ट 05 का भाग

क्र०सं०	एंग्लिंग/02 इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल द्वारा मत्स्य आखेट का स्थान (नदी आदि का नाम)	पकड़ी गयी मछली की प्रजाति	पकड़ी गयी मछली का वजन	अभियुक्ति			
	कुल योग-						

परमिट धारक का नाम एवं हस्ताक्षर

परमिट निर्गत कर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी- उपरोक्त प्रारूप परमिट निर्गतकर्ता विभाग द्वारा परमिट धारक को परमिट निर्गत करते समय उपलब्ध कराया जायेगा।

(27)

परिशिष्ट--छ: (1)
शिकारमाही सारणी

क0	जलक्षेत्र का नाम	अनुज्ञापित शिकारमाही विधि	परमित/लाईसेस व वैधता अवधि	बीट आवंटन की विधि निविदा के माध्यम से	निषेध अवधि	शिकारमाही के निषिद्ध क्षेत्र का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट क्षेत्र	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमित तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 नवम्बर से 28 फरवरी तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम-11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
2.	नदियों एवं जलधाराओं के महाशीर क्षेत्र	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमित तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम-11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
3.	सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)	एग्लिंग रॉड तथा 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमित तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।	नियम 5 (2) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु राज्य में मत्स्य आखेट/कीड़ा से सम्बन्धित स्थानीय मेलों जैसे-जिला टिहरी/देहरादून/उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले मौण मेला आदि मेलों में स्थानीय लोगों के हकहकूकों के दृष्टिगत मेला अवधि में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली जलराशि को प्रतिबन्धित क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा।	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
4.	ट्राउट जलक्षेत्र की झीलें।	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमित तथा कार्यदायी संस्था।	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 नवम्बर से 28 फरवरी तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम-11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
5.	महाशीर जलक्षेत्र की झीलें	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन परमित तथा कार्यदायी संस्था को तीन	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा नियम-11(12) के	1. धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित

जन से

मैदानी
जन की

वापस

डे फन्दे
गंतकता

5 का भाग

पुक्ति

स्ताक्षर

मित निर्ण

(28)

			वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।		परन्तुक को छोड़कर	प्रजनन क्षेत्र।
6.	सामान्य जलक्षेत्र की झीलें (पर्वतीय भाग)	एंग्लिंग रॉड तथा 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु लाईसेंस।	नियम 5 (2) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा नियम-11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
7.	मैदानी भाग में विद्यमान ग्राम समाज एवं स्थानीय निकाय के जोहड़, पोखर एवं तालाब	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार	ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।	कुम्भ मेला क्षेत्र एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आस-पास।
8.	जलाशय	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	पाँच वर्ष	खुली नीलामी के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा	—
9.	मैदानी क्षेत्र की नदियाँ	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	पाँच वर्ष	खुली नीलामी के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।	1. कुम्भ मेला क्षेत्र एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आस-पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।

नोट— चिन्हित प्रजनन क्षेत्र आदि के संबंध में निदेशक, मत्स्य द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

(29)

परिशिष्ट-सात

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा 8 एवं धारा 9 में निहित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु अधिकृत पद धारकों का विवरण-

क्र०सं०	विभाग का नाम	पदधारक
1.	मत्स्य विभाग	मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य विकास अधिकारी से अनिम्न
2.	पुलिस विभाग	सबइन्सपेक्टर से अनिम्न
3.	वन विभाग	वन दरोगा से अनिम्न
4.	राजस्व विभाग	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) से अनिम्न
5.	सिंचाई विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता से अनिम्न

आज्ञा सं.

सी० एम०एस० बिष्ट.

सचिव।

न
।
धार्मिक
में के
।
चिन्हित
नन
।
र मत्स्य
एवं
।
क
लों के
स-पास।

कुम्भ
।
क्षेत्र
अन्य
मेंक
लों के
स-
स।
चिन्हित
नन
।

दिशा-

टेम्पली-राजपत्र, दिनांक 30-11-2013, भाग 1 में प्रकाशित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-।

सी०एस०यू० (आर०ई०) 01 पशुपालन/700-23-12-2013-150 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

Advance Service in OA No. 1004 of 2024

1 message

Saurabh <saurabhrajpal.sc.aor@gmail.com>
To: ankursoodoffice@gmail.com

Mon, Oct 13, 2025 at 11:46 AM

Sir/Madam,

Please find the copy of the reply attached below, filed in the above subject matter on behalf of the respondent No. 10as advance proof of service.

Thanking you.

 Final NGT REPLY.pdf

Yours sincerely,

Saurabh Rajpal
Advocate-on-Record
Supreme Court of India